बालिका शिक्षा

जेण्ड़र–समता एवं सशक्तिकरण

दिशा–निर्देश

सत्र 2018–19

समग्र शिक्षा अभियान

जेण्डर प्रकोष्ठ

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

प्रथम तल, राजीव गॉधी भवन, शिक्षा संकुल

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–17

फोन– 0141 – 2700870

ईमेल– rajssa_gender@yahoo.co.in

www.rajteachers.com

दिशा–निर्देश
बालिका शिक्षा
2018–19

क्रमांक : प.6 / राप्राशिप / जय / जैण्डर / बालिका शिक्षा / कम्पैन्डियम / 2018–19 / 7179 दिनांक : 04/10/2018

सत्र 2018–19 में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के "empowerment of girls" के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर दोनों पर **शिक्षा में** समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और शिक्षा एवं जीवन कौशल विकास के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य – सभी बालिकाओं को शिक्षा से सशक्त करने की ऐसी प्रकिया से जोड़ना जिससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो, वे अपने भावी जीवन एवं चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर आत्मनिर्भर बन सकें। उक्त वृहद् उद्देश्यों को पाने के लक्ष्य से इस सत्र 2018–19 में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जायेंगी – (1) सक्षम (2) मीना मंच व गार्गी मंच (3) अध्यापिका मंच (4) करियर विजनिंग।

उक्त प्रथम तीन गतिविधियां समस्त प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु संचालित की जायेंगी और चौथी गतिविधि माध्यमिक कक्षाओं हेतु संचालित होंगी।

गतिविधि	उद्देश्य	कवरेज	माध्यम / प्रक्रिया
1. सक्षम	बालिकाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि, आत्मरक्षा एवं नियमित शिक्षा जारी रखने हेतु कौशल का विकास।	राज्य के सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 6 से 12 की बालिकाएँ।	• अध्यापिकाओं एवं शारीरिक शिक्षकों का आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण। • प्रशिक्षित शिक्षिकाओं के माध्यम से विद्यालय में बालिकाओं को प्रशिक्षण एवं नियमित अभ्यास।
2. मीना मंच एंव गार्गी मंच	समस्त बालिकाओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाना और विद्यालय व कक्षा में सक्रिय सहभागिता एवं अभिव्यक्ति के अधिकतम अवसर प्रदान कर सकारात्मक अवधारणा का विकास करना।	राज्य के समस्त उ.प्रा. विद्यालय एवं माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमशः कक्षा 5 से 8 की बालिकाओं हेतु मीना मंच एवं कक्षा 8 से 12 की बालिकाओं हेतु गार्गी मंच।	• पूर्व से गठित बालिका समूह अथवा मीना मंच को सुदृढ़ करना और चाइल्ड राइट्स क्लब से जोड़ना। • माध्यमिक व उ0 माध्यमिक कक्षाओं हेतु गार्गी मंच बना संचालित करना। • मंच द्वारा रोजमर्रा की समस्याओं, जीवन कौशल, बाल अधिकारों पर नियमित चर्चा। • विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी व नेतृत्व के अवसर। • मंच के माध्यम से विद्यालय की समस्त बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाना।
3. अध्यापिका मंच	स्वयं की क्षमता अभिवर्द्धन करना और विद्यालयों को जेण्डर संवदी बनाना एवं बाल सहभागिता को प्रोत्साहित करना।	राज्य के समस्त ब्लॉक में प्रारम्भिक एवं उ0 / माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षिकाएं।	• राज्य में पूर्व से गठित अध्यापिका मंच के सदस्यों का – जेण्डर संवेदी बालमित्र वातावरण और बाल अधिकार व सुरक्षा पर क्रिटिकल डायलॉग द्वारा बच्चों का क्षमता अभिवर्द्धन। • प्रति मंच सत्र में 5 दिन की कार्यशालाओं का आयोजन।
4. करियर विजनिंग	बालिकाओं को भविष्य के लिये तैयार करना।	समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय।	• बालिकाओं के साथ कार्यशाला।

www.rajteachers.com

गतिविधि 1 – सक्षमः आत्मरक्षा प्रशिक्षण

समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने हेतु राज्य के सभी जिलों में 'सक्षम' अभियान (आत्मरक्षा प्रशिक्षण) गत सत्रों से संचालित है। जिस हेतु राजकीय विद्यालयों से ही शिक्षिकाओं/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि बालिकाओं को सत्र पर्यन्त एवं अगामी सत्रों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नियमित अभ्यास करवाया जा सके। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण, जेण्डर, सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर भी बालिकाओं में जागरूकता लायी जा सके। सत्र 2018–19 में भी सक्षम गतिविधि को जारी रखा जायेगा।

कवरेज – इस गतिविधि का संचालन निम्नानुसार राजकीय विद्यालयों में किया जा रहा है –

1. प्रारम्भिक स्तर :– समस्त 18,389 उच्च प्राथमिक विद्यालय एंव चयनित 932 प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 5 में छात्राओं के नामांकन के आधार पर)
2. माध्यमित स्तर :– समस्त 14267 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय

कुल विद्यालय :– 33,588 विद्यालय

संचालन – बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षित करने हेतु निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे–

जिला स्तर पर एम.टी प्रशिक्षण

(1) प्रति 20 विद्यालय पर एक शारीरिक शिक्षक का 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (एमटी प्रशिक्षण)– यह प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाना है। इस हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन रुपये 200 निर्धारित किये गये हैं जिसे प्रशिक्षण के नियमानुसार व्यय किया जा सकेगा। उक्त शारीरिक शिक्षका/शिक्षक सत्रपर्यन्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सहयोग देंगे।

(2) उक्त एमटी प्रशिक्षण प्रत्येक स्थिति में माह 10 अक्टूबर 2018 में पूरा कर लिया जाये।

(3) उक्त प्रशिक्षण हेतु सदंर्भ व्यक्ति का चयन उन प्रशिक्षित शिक्षिकाओं/शिक्षकों में से किया जायेगा जिन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। पुलिस विभाग में आत्मरक्षा पर प्रशिक्षित कान्सटेबल अथवा अन्य स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षित ट्रेनर के द्वारा भी प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित करवाया जा सकता है।

ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण

1 प्रति विद्यालय एक शिक्षक/शिक्षिका का 8 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (शिक्षक–प्रशिक्षण) – उक्त प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जो कि सीबीईओ के निरीक्षण में होगा। प्रशिक्षण में प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक/शिक्षिका को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिसमें अध्यापिका मंच शिक्षिका/विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाये। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रुपये 200 निर्धारित किये गये हैं। उक्त प्रशिक्षण जिले पर तैयार किये गये एमटी अर्थात शारीरिक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा दिया जायेगा।

2 उक्त शिक्षक–प्रशिक्षण माह अक्टूबर में सम्पन्न करा लिये जायें।

3 विशेष – जिन विद्यालयों से शिक्षक एमटी/संदर्भ व्यक्ति के स्तर पर कार्य कर रहे उन विद्यालयों से शिक्षण प्रशिक्षण हेतु किसी अन्य शिक्षिका/शिक्षक को नामित किया जाये जिससे कि बालिकाओं को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य बाधित नहीं हो।

विद्यालय स्तर पर गतिविधि का संचालन

(1) प्रशिक्षित शिक्षक/शिक्षिका बालिकाओं को तीन, माह तक सघन प्रशिक्षण देंगी जो कि छोटे–छोटे समूह में हो। समूह 15 से 20 बालिकाओं का हो सकेगा जिससे सभी बालिकाओं को पूरा मार्गदर्शन दिया जा सके। **ध्यान रहे कि भोजन के तुरन्त बाद प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।**

(2) प्रारम्भिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं को एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को पृथक समूह में प्रशिक्षण दिया जाये।

(3) प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रतिमाह 15 दिन एवं तीन माह की अवधि में न्यूनतम 45 दिन का प्रशिक्षण देय होगा। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को प्रतिमाह 10 दिन एवं तीन माह की अवधि में न्यूनतम 30 दिन प्रशिक्षण देय होगा। जो कि प्रशिक्षित शिक्षिका/ शिक्षक द्वारा देय होगा।

(4) गाईडेड़ प्रशिक्षण पश्चात बालिकाओं का ग्रुप–लीडर बना अभ्यास को जारी रखा जाये। जो कि सत्र पर्यन्त जारी रहे और विद्यालय समय–सारणी का हिस्सा हो।

www.rajteachers.com

(5) प्रति विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षिका/शिक्षक को विद्यालय में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रुपये 100 मानदेय देय होगा। जो कि संस्थाप्रधान एवं पीईईओ के संयुक्त अप्रूवल के पश्चात् देय होगा।

(6) बालिकाओं को उक्त प्रशिक्षण का प्रथम चरण अक्टूबर माह में मध्यावधि अवकाश के पश्चात माह नवम्बर में करवाया जाये। द्वितीय चरण शीतकालीन अवकाश के पश्चात करवाया जाये। तीसरा चरण माह फरवरी में करवाया जाये।

ध्यान रखें किसी भी बालिका को विद्यालय परिसर से बाहर अथवा विद्यालय समय से पूर्व/बाद में संस्थाप्रधान अथवा एसएमसी की लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण नहीं दिया जाये। प्रशिक्षण के समय पर प्रशिक्षक–शिक्षक होने की स्थिति में एक अन्य शिक्षिका की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(7) बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर नियमित अभ्यास के पूरे अवसर मिलें और प्रशिक्षक–शिक्षिका की देखरेख में हो, इसकी जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी। नियमित अभ्यास हेतु कालांश विभाजन में प्रति सप्ताह विद्यालय समय के दौरान ही आधा घण्टा रखा जाये।

(8) समस्त विद्यालायों में **बालिकाओं के साथ सुरक्षा, संरक्षा एवं कानूनी प्रावधान एवं सहायता देने वाली संस्थाओं की जानकारी देने हेतु आधे दिन कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में समस्त बालिकाओं के साथ–साथ बालकों को भी प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करें।**

(9) उक्त कार्यशाला के आयोजन की मॉनेटरिंग पीईईओ द्वारा की जायेगी। जो कि सभी संस्थाप्रधान से चर्चा कर संदर्भ व्यक्ति को चिन्हित करने और उससे सम्पर्क करने का प्रयास करेगा। इस हेतु प्रति कार्यशाला रुपये 300 का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग संदर्भ व्यक्ति को मानदेय देने अथवा कार्यशाला में सामग्री इत्यादि के प्रयोग में लिया जा सकेगा।

(10) संदर्भ व्यक्तियों का चयन प्राथमिकता से बाल–सुरक्षा, प्रक्रियाओं एवं कानूनी प्रावधानों का जानकार को बुलाया जाये जो कि– पुलिस विभाग से, सीडब्लूसी से, कोर्ट से बाल कानून विशेषज्ञ–वकील हो। इसके अतिरिक्त सक्रिय संस्थाओं से बाल सुरक्षा विशेषज्ञ एवं आत्मरक्षा विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकेगा।

(11) योग प्रेक्टिस एवं मेडिकल किट (First aid kit) का बजट प्रावधान एवं दिशा–निर्देश पृथक से भिजवाये जायेगें।

अपेक्षित परिणाम –

1. विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं आत्मरक्षा की तकनीकों पर तैयार होंगी।
2. बालिकाएं अपनी सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं, कानूनों, विभिन्न समितियों, शिकायत निवारण तंत्र आदि की जानकारी हो।
3. बालिकाएं स्वयं की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में संभावित सामाजिक/पारिवारिक एवं विद्यालयी चुनौतियों, खतरों को चिन्हित कर पायेंगी और उसे दूर करने के लिये परिवार, विद्यालय एवं पीयर समूह से सहायता लेने में सक्षम होंगी।
4. प्रशिक्षण द्वारा बालिकाओं शिक्षा को जारी रखने में आने वाली चुनौतियों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक हल के लिये तैयार होंगी जिसका प्रभाव विद्यालय में उपस्थिति में नियमितता एवं ठहराव से आंका जा सकेगा।

वित्तीय प्रावधान :–

1. एमटी हेतु 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण – रुपये 200 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (प्रशिक्षण के नियमानुसार)
2. शिक्षक हेतु 8 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण – रुपये 200 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (प्रशिक्षण के नियमानुसार)
3. प्रारम्भिक विद्यालयों में प्रशिक्षक/शिक्षक हेतु कुल 45 दिवस का रुपये 100 की दर से मानदेय।
4. माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक/शिक्षक हेतु कुल 45 दिवस का रुपये 100 की दर से मानदेय।
5. सुरक्षा पर कानूनी प्रावधानों एवं अन्य जानकरियों पर बालिकाओं हेतु कार्यशाला पर रुपये 300 का प्रावधान।

www.rajteachers.com

गतिविधि 2 – मीना मंच एवं गार्गी मंच

मीना मंच

शिक्षा में समानता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु पूर्व के सत्रों की भांति सत्र 2018–19 में मीना मंच का संचालन किया जायेगा। इस सत्र में मीना मंच का गठन समस्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं हेतु किया जायेगा। जहाँ प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ इन मंचों में कक्षा 5 की बालिकाओं को भी जोड़ा जाये। गत सत्र की भांति इस सत्र में चाइल्ड राइट्स क्लब और बाल संसद को भी मीना मंच के साथ जोड़ा जायेगा। जिससे बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, शिक्षा में बाधक वर्तमान एवं संभावित चुनौतियों को समझ कर उस पर बातचीत करें, अपने बाल–अधिकारों को जानें और सामूहिक समाधान ढूँढ़ सके।

कवरेज – इस गतिविधि का संचालन निम्नानुसार राजकीय विद्यालयों में किया जायेगा –

1. 18,6389 विद्यालय :– समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय केजीबीवी सहित।
2. 14,267 विद्यालय :– समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1–8)।

कुलः– 32,656 विद्यालय।

गार्गी मंच

मीना मंच के अनुभवों के आधार पर एवं किशोरी बालिकाओं के मुद्दे पर समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के स्तर पर गार्गी मंच का गठन किया जायेगा। गार्गी मंच के सदस्यों को विद्यालय के अन्य मंचों से भी जोड़ा जाना सुनिश्चित करें – ईको क्लब, चाइल्ड राईट्स क्लब, गाईड, इत्यादि। इससे किशोरियां अपनी वर्तमान एवं अगामी शिक्षा में बाधक चुनौतियों को समझ कर उस पर बातचीत करें, अपने अधिकारों को जानें, उनके सामूहिक समाधान ढूँढ़ सके। आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन के विकल्पों पर समझ कर निर्णय कर सकें।

कवरेज – इस गतिविधि का संचालन निम्नानुसार राजकीय विद्यालयों में किया जायेगा –

1. 14,267 विद्यालय :– समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।

*मीना मंच/गार्गी मंच – विद्यालय में मीना मंच बालिकाओं का एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात कहने–सुनने का और अपनी समस्याओं को सुलझाने का अवसर देता है। चूंकि गत सत्र से मीना मंचों में बालकों को भी जोड़ा गया है, अतः इसे **मीना–राजू मंच** से जाना जाये। बड़ी कक्षाओं की बालिकाओं हेतु इस मंच को गार्गी मंच से जाना जाये। गार्गी मंच में बालकों की भूमिका बालिकाओं और बालकों के विचारों और पक्षों के बीच ब्रिज करते हुए आपसी समझ विकसित करने के अवसर बढ़ाने की होगी।*

चाइल्ड राइट्स क्लब – बच्चों को विभिन्न शोषण/हिंसा से सुरक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से ये क्लब विद्यालयों में बनाये गये हैं।

चाइल्ड राइट्स क्लब (एससीपीसीआर जयपुर के निर्देशानुसार) हेतु दिशा निर्देश प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

मीना मंच का उद्देश्य, गठन व मंच संचालन एवं सत्र–पर्यन्त की गतिविधियों आदि की विस्तृत जानकारी हेतु संलग्नक–1 देखें।

गार्गी मंच का उद्देश्य, गठन व मंच संचालन आदि की विस्तृत जानकारी हेतु संलग्नक–2 देखें।

संचालन – बालिकाओं में जीवन कौशल विकास (विशेषकर समस्या समाधान, स्वयं को जानना, नेतृत्व व संप्रेशण कौशल, निर्णय क्षमता आदि), जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर समालोचनात्मक चिंतन, एवं समतावादी मूल्यों पर समझ के साथ नियमित उपस्थिति व ठहराव हेतु निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे। विद्यालयों में मीना मंच एवं गार्गी मंच के संचालन हेतु प्रिन्सिपल/संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय की एक शिक्षिका को सुगमकर्ता का दायित्व दिया जो कि वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार दोनों मंचों को गतिविधियां संचालन हेतु मार्गदर्शन देंगी।

मीना–राजू मंच एवं गार्गी मंच की समितियां प्रति माह कम से कम चार बार अपनी तैयारी व समीक्षा बैठक करेगा एवं माह में दो बार समस्त छात्र–छात्राओं के साथ चर्चा/गतिविधि करेगा। उक्त बड़े समूह के साथ चर्चाएं प्रतिचर्चा कम से कम दो घण्टे की होगी।

www.rajteachers.com

सत्र 2018–19 में मीना मंच एवं गार्गी मंच हेतु एजेण्ड़ा – मीना मंच एवं गार्गी मंच इस सत्र में निम्नलिखित चार मुददों पर काम करेगी –

1. आउट–ऑफ–स्कूल बालक/बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने की पहल करना।
2. सभी बालिकाओं की उपस्थिति को नियमित करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (early warning system) पर पहल करना।
3. स्कूल में बालिका संवेदी इंडीकेटरर्स को लागू करने के लिए सभी बच्चों के साथ चर्चा करना।
4. जेण्ड़र एवं महावारी स्वच्छता पर लगातार समस्त बच्चों से समूहों में वार्ताएं आयोजित करना।

प्रशिक्षक–प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण एवं सुगमकर्ता का अभिमुखीकरण

(1) प्रत्येक 40 संभागियों पर दो दक्ष–प्रशिक्षकों का (मीना मंच एवं अध्यापिका मंच हेतु दक्ष प्रशिक्षक एक ही होगें) तीन दिवसीय अभिमुखीकरण किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण जिले स्तर पर किया जायेगा जिस हेतु प्रतिव्यक्ति रुपये 100 का प्रावधान है।

(2) दक्ष प्रशिक्षण राज्य पर केआरपी प्रशिक्षण किये जाने के 10 दिन में पूरे कर लिये जायें।

(3) दक्ष प्रशिक्षक में से एक सदस्या माध्यमिक विद्यालय से होगी। जो बालिका शिक्षा के प्रति सकिय हों। साथ ही पूर्व में मीना मंच, अध्यापिका मंच एवं गार्गी मंच– 9 जिलों में, से जुड़ी हों।

(4) दूसरी दक्ष–प्रशिक्षक प्रारम्भिक विद्यालय से होगी जो कि प्राथमिकता से अध्यापिका मंच सदस्याऐं होंगी। चयन हेतु निम्नलिखित आधार होंगे – (1) स्वयं के विद्यालय में मीना मंच और अध्यापिका मंच दोनों गतिविधियों में सम्मिलित हों। (2) प्रशिक्षण लेने एवं स्वयं के ब्लॉक पर एक/दो चरणों में प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम हों। (3) अध्यापिका मंच की कोर समिति की सदस्या भी हों।

(5) दक्ष प्रशिक्षक ब्लॉक पर मीना मंच एवं गार्गी मंच के सदस्याओं को प्रशिक्षण देंगे।

(6) समस्त उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक शिक्षिका, जो कि सुगमकर्ता कहलायेगी, (शिक्षिका की अनुपस्थिति में शिक्षक) का सत्र में दो बार एक दिवसीय आमुखीकरण ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा। उक्त शिक्षक प्रशिक्षण अक्टूबर 2018 में ही पूरे किये जाने हैं। उक्त आमुखीकरण हेतु रुपये 100 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर व्यय किये जा सकेंगे।

(7) मीना मंच पर माध्यमिक विद्यालयों में सुगमकर्ता पृथक होंगी जो कि कक्षा 6 से 8 को पढ़ाती हों और उनका मीना मंच पर प्रशिक्षण होगा। गार्गी मंच हेतु माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षिका अलग होगी जो कि कक्षा 9 से 12 को पढ़ाती हो।

(8) विद्यालय में गतिविधि संचालन का दायित्व सुगमकर्ता को दिया जायेगा। विद्यालय में शिक्षिका की अनुपस्थिति में शिक्षक को सुगमकर्ता का दयित्व दिया जायेगा और वह प्रशिक्षण में भाग लेगा। महिला सुगमकर्ता को प्राथमिकता से अध्यापिका मंच सदस्या भी बनाया जाये जिससे कि विभिन्न मंच पर होने वाले प्रयासों का लाभ बालिकाओं को पहुँचे।

(9) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और **"बेटी पढ़ाओ"** पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष दिवसों (यथा अन्तर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस, बाल दिवस, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस) पर "बालिका शिक्षा मेला" का आयोजन किया जायेगा।

विद्यालय स्तरीय गतिविधियां

(1) प्रिन्सिपल/संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय से महिला शिक्षिका को सुगमकर्ता का दायित्व देना।

(2) 22 सितम्बर 2017 से पूर्व मीना मंच का गठन/पुनर्गठन। नोडल सैकण्डरी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 की छात्राओं हेतु गार्गी मंच का पृथक से गठन करना एवं गार्गी मंच को मीना मंच की गतिविधियों से जोड़ना।

(3) सत्र–पर्यन्त मीना मंच गतिविधि–कैलेण्डर की गतिविधियों को संचालन हेतु चिन्हित करना और विद्यालय के वार्षिक कलेण्डर में सम्मिलित करना।

(4) माह के प्रथम एवं तीसरे शनिवार को मीना एवं गार्गी मंच की बैठकों को आयोजित करना।

(5) माह के द्वितीय एवं चौथे शनिवार को मीना एवं गार्गी मंच द्वारा अन्य बच्चों से चर्चा/बैठक करना।

(6) मीना मंच एवं गार्गी मंच की बालिकाओं के नेतृत्व में बाल मंच एवं चाइल्ड राइट्स क्लब के सदस्य बच्चों के साथ विद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित करवायेंगे –

6.1. कक्षावार उपस्थिति चार्ट बनाना; अनियमित बच्चों को विद्यालय लाने हेतु मौहल्लेवार टोली बनाना।

www.rajteachers.com

गार्गी मंच किसी भी बालिका के साथ समस्या नहीं हो, इसलिए मौहल्लेवार समूह बना कर समूह में बालिकाओं के आने जाने की योजना बनायें।

6.2. सत्र में चार बार (अगस्त, नवम्बर, जनवरी एवं अप्रेल माह) में क्लस्टर के सक्रिय मीना मंच के विद्यालय में निकट के अन्य विद्यालयों से मीना मंच एवं गार्गी मंच सदस्याओं को आमंत्रित कर संगोष्ठी करना।

6.3. मीना–राजू मंच एवं गार्गी मंच की गतिविधियों को एक–दूसरे से साझा करना। संयुक्त कामों को और सहयोग के क्षेत्रों को चिन्हित करना।

6.4. विद्यालय में मीना कार्नर/मीना वाचनालय का संचालन करना।

6.5. अनियमित बालिकाओं, बाल–विवाह से प्रभावित/संभावित बालिकाओं के नियमित शिक्षा जारी रखने हेतु उनकी सूची एसएमसी की बैठकों में मीना मंच एवं गार्गी मंच के माध्यम से प्रस्तुत करना और कार्ययोजना बना उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।

6.6. चाइल्ड राइट्स क्लब की सदस्य बालक–बालिकाओं के माध्यम से बाल–अधिकारों एवं बाल सुरक्षा (पोक्सो एक्ट सहित) पर चर्चा करना।

6.7. सर्वसुलभ स्थान पर गरिमा पेटी लगाना और मीना मंच एवं गार्गी मंच को उसके संचालन की एवं एसएमसी की बैठकों में समस्याओं को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी देना। गरिमा पेटी से प्राप्त समस्याओं का संस्थाप्रधान द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर निस्तारण एवं रिकार्ड संधारण करेगें।

6.8. मीना मंच एवं गार्गी मंच के नेतृत्व में समस्त कक्षाओं में मौहल्लेवार एवं शैक्षणिक स्तर के अनुसार पीयर समूह का गठन करना। पीयर समूह के बच्चों को रोज विद्यालय आने, विद्यालय कार्य एवं शिक्षण समस्याओं पर पीयर–लीडर का सहयोग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।

6.9. प्रतिमाह कक्षा 7 और 8 के मीना मंच के सदस्यों को कक्षा 3 से 6 के बच्चों के साथ समूह में "कहानी एवं नाट्य मंचन" का प्रोजेक्ट–कार्य देना। इसी प्रकार कक्षा 9–12 के गार्गी मंच के बच्चों को कक्षा 6 से 8 हेतु प्रोजेक्ट कार्य देना। इस हेतु प्रत्येक समूह को मीना कहानियों, पाठ्यपुस्तको, सहयोगी पुस्तकों, लाईब्रेरी की पुस्तकों एवं परिवेश के अनुभवों पर कहानी बनाने, उसे नाट्य के रूप में लिखने और उसे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी देना।

6.10. विद्यालयी सह–शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन व संचालन में मीना मंच एवं गार्गी मंच को अवसर देना।

6.11. बाल संसद, मीना मंच, गार्गी मंच और चाइल्ड राइट्स क्लब के सदस्यों को रोटेशन पर समस्त गतिविधियों का रिकार्ड संधारण करना।

(7) सुगमकर्ता द्वारा बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, रोड़ सेफ्टी, आपदा प्रबंधन, विद्यालय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं महावारी स्वच्छता पर जानकारी, चर्चाएं एवं विशेष कार्यक्रम आयोजित करना।

(8) मीना मंच, गार्गी मंच एवं अन्य बालिकाओं को आसपास के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बैंक, पोलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ई–मित्र केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र आदि का सत्र में कम से कम 2 भ्रमण करवाया जाना।

(9) सुगमकर्ता द्वारा गत सत्रों में प्रिन्ट कराये गये मीना मंच पोस्टरों का बैठकों में प्रदर्शन करना तथा पोस्टर में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर बालिकाओं में परिवर्तन लाने के प्रयास करना।

(10) संस्थाप्रधान द्वारा मीना मंच/गार्गी मंच की उपलब्धियों का रिकार्ड संधारित कर सूचनाओं को प्रेषित करना।

(11) विशेष दिवसों जैसे 24 सितम्बर (मीना दिवस), 11 अक्टूबर (अर्न्तराष्ट्रीय बालिका दिवस), 14 नबम्बर (बाल दिवस) एवं 24 जनवरी (राष्ट्रीय बालिका दिवस) पर विद्यालय में मीना मंच द्वारा बच्चों की आवाज को समुदाय स्तर तक ले जाने हेतु और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।

www.rajteachers.com

अर्न्तराष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव (ब्लॉक मीना मेला)

(1) बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़े, वे अपने साथियों द्वारा किये गये प्रसंशनीय कार्यों को देखें, समझें एवं एक–दूसरे से सीखें, इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर मीना मेले का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक ब्लॉक पर कुल 15 प्रतिशत श्रेष्ठ मीना मंच वाले चयनित विद्यालय प्रतिभाग करेंगे। उक्त गतिविधि मीना मंच हेतु आयोजित की जा रही हैं, क्योंकि यह गतिविधि पूर्व सत्रों से संचालित है। उक्त मेले में प्रतिविद्यालय 5 बच्चे एवं एक सुगमकर्ता प्रतिभाग करेंगे। प्रति संभागी हेतु रुपये 100 का प्रावधान किया गया है, जिसके उपयोग विस्तृत जानकारी पृथक से दी जायेगी।

(2) संभागी मीना–राजू मंच का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाये – (1) मंच द्वारा विद्यालय के समस्त बच्चों को सम्मिलित किया गया हो और गत दो सालों में सत्र पर्यन्त समस्त गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जा रहा हो। (2) मंच द्वारा किसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया गया हो, जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, छेड़छाड/उत्पीडन, इत्यादि। (3) मंच द्वारा ड्रॉप आउट/विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं को नाममांकित कराया गया हो/ उजियारी पंचायत के लक्ष्य में प्रसंशनीय सहयोग दिया गया हो। (4) मंच द्वारा कक्षा 8 के बाद भी गत दो सत्रों में बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े जाने का प्रसंशनीय कार्य किया गया हो। (5) मंच के समस्त सदस्यों में आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल परिलक्षित होता हो।

(3) उक्त ब्लॉक स्तरीय मीना–राजू मेले का आयोजन 14 नबम्बर 2018 को बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बनाया जायेगा।

राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव (जिला मीना मेला)

(1) मीना–राजू मंच और गार्गी मंच को रोल मॉडल के रूप में पूरे जिले में प्रचारित करने, एवं सक्रिय मीना मंच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव पर जिले स्तर पर मीना मेले का आयोजन किया जायेगा। उक्त मेले में प्रत्येक जिले पर कुल चयनित 12 मंच प्रतिभाग करेंगे जिसमें से 7 मीना मंच होने अनिवार्य हैं और 5 गार्गी मंच लिये जा सकेंगे। संभागी विद्यालय से 5 बच्चे एवं एक सुगमकर्ता प्रतिभाग करेंगे। प्रति संभागी विद्यालय हेतु रुपये 1200 का प्रावधान किया गया है, जिसके उपयोग विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) संभागी मंचों का चयन ब्लॉक स्तर पर किये गये प्रस्तुतियों एवं मंच के कार्यों के आधार पर किया जा सकेगा। प्रथम स्थान पाने वाला मंच अगामी सत्र तक जिले का रोल मॉडल मीना–गार्गी मंच के रूप में जाना जायेगा। मॉडल मीना मंच एवं गार्गी मंच के अनुकरणीय प्रयासों का प्रचार प्रसार WhatsApp के माध्यम से भी किया जाये। जिला परियोजना समन्वयक उक्त मंच को जिले पर 26 जनवरी 2019 को सम्मानित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेगा।

(3) उक्त जिला स्तरीय मीना–राजू मेले का आयोजन 24 जनवरी 2019, राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर बनाया जायेगा।

अपेक्षित परिणाम –

1. कक्षा 5 से 8 तक की बालिकाओं में 75 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाली बालिकाओं की सूची प्रतिमाह बनाना और एसएमसी बैठक ऐजेण्ड़ा में चर्चा करना।
2. कक्षा 5 से 12 तक की बालिकाओं हेतु विद्यालय में पूर्व चेतावनी प्रणाली (early warning system) बनाकर सक्रिय करना।
3. विद्यालय के प्रत्येक गतिविधि में बालिकाओं की समान भागीदारी एवं नेतृत्व हेतु कोड ऑफ कन्डक्ट लागू करना।
4. विद्यालय परिसर में 'गरिमा पेटी' लगी होगी जिसमें प्राप्त सुझाव/शिकायतों एवं इसके निस्तारण का लेखाजोखा मीना मंच के नेतृत्व में एसएमसी द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान –

1. एमटी का राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण ,– रुपये 100 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (प्रशिक्षण के नियमानुसार)
2. सुगमकर्ताओं का गैर–आवासीय प्रशिक्षण – रुपये 100 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (प्रशिक्षण के नियमानुसार)
3. ब्लॉक स्तरीय समारोह – रुपये 100 प्रति संभागी
4. जिला स्तरीय समारोह – रुपये 200 प्रति संभागी।

www.rajteachers.com

गतिविधि 3 – अध्यापिका मंच

विद्यालयों में जेण्डर संवेदी वातावरण बनाने, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की अहम भूमिका हैं। जेण्ड़र संबंधित मुद्दों पर अध्यापिकाएं भी समान रूप से प्रभावित होती हैं और शिक्षिका की भूमिका में सामान्यतया दोहरी जिम्मेदारियों में व्यक्तिगत एवं व्यावसासिक विकास के अवसर पूर सहीं मिल पाते। इस पृष्ठभूमि में राज्य में अध्यापिका मंच संचालित हैं। **इस सत्र 2018–19 से अध्यापिका मंच प्रारम्भिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं के साथ–साथ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं हेतु संचालित किये जायेगें। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं हेतु पृथक–पृथक मंच बनाये जायें।** क्योंकि माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं को पहली बार इस गतिविधि में सम्मिलित किया जा रहा है। अध्यापिका मंच का संचालन पूर्व की भांति ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा।

कवरेज – इस गतिविधि का संचालन निम्नानुसार चिन्हित शिक्षिकाओं के विद्यालयों में किया जायेगा –

1. प्रारम्भिक स्तर :– समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षिका
   :– एक–तिहाई प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षिका
2. माध्यमिक स्तर :– समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक शिक्षिका

नोट– 1. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर के मंच हेतु प्रति ब्लॉक संख्या हेतु संलग्न बजट शीट देखें।
2. 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों का चयन बालिकाओं की कुल नामांकन संख्या एवं शिक्षिका की अध्यापिका एवं मीना मंच में सक्रियता के आधार पर तय की जाये।
3. समस्त विद्यालयों से एक–एक शिक्षिका लेने के प्रावधान के पश्चात (विद्यालय में शिक्षिका की अनुपलब्धता होने पर) बजट शेष रह जाये, तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक की अन्य सक्रिय अध्यापिकाओं को मंच में आमंत्रित किया जाये। कार्यशाला में पूर्ण समय तक सहभागिता एवं विद्यालय में बालिका शिक्षा हेतु विभिन्न नवाचार एवं पहलों को सक्रियता से जोड़कर देखा जाये।

अध्यापिका मंच ब्लॉक स्तर पर शिक्षिकाओं हेतु ऐसा समूह है जो आपसी सहयोग के आधार पर एक–दूसरे को सम्बलन हेतु सशक्त करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, उनकी छुपी प्रतिभाओं को मुखरित करने और उन्हें अच्छे प्रशिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाने हेतु प्रोत्साहित करता है और इस हेतु क्षमता–अभिवर्द्धन एवं अन्य अवसर प्रदान कराता है।
इस मंच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अध्यापिका मंच वाले विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के समक्ष एक सशक्त महिला रोल मॉडल के रूप में अध्यापिका को प्रस्तुत करने का प्रयास है।

अध्यापिका मंच का उद्देश्य, गठन की प्रक्रिया, कार्य व दायित्व, मंच संचालन एवं गतिविधियों संबंधित जानकारी समय–समय पर पूर्व में भेजी गयी है, संदर्भ हेतु संलग्नक–3 देखें।

सत्र 2018–19 में अध्यापिका मंच हेतु एजेण्ड़ा – अध्यापिका मंच इस सत्र में निम्नलिखित पांच मुद्दों पर काम करेगी –

1. अपने विद्यालयों में मीना मंच और गार्गी मंच को सक्रिय करना।
2. आउट–ऑफ–स्कूल बालक/बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना।
3. सभी बालिकाओं की उपस्थिति को नियमित करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (early warning system) बना सक्रिय करना।
5. स्कूल में बालिका संवेदी इंडीकेटरर्स को लागू करने के लिए क्रिटिकल डायलॉग के तरीकों का उपयोग करते हुए सभी बच्चों को जागरूक करना एवं स्टॉफ–समुदाय एवं बच्चों के साथ मिलकर कोड–ऑफ–कन्डक्ट तैयार कर लागू करना।
4. जेण्ड़र एवं महावारी स्वच्छता पर बच्चों के साथ संवाद करना और प्रचलित मिथकों पर वार्ताएं आयोजित कर उस पर वैज्ञानिक समझ विकसित करना।

संचालन – गतिविधि का संचालन निम्नानुसार होगा –

www.rajteachers.com

प्रत्येक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संदर्भ व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हुए अध्यापिका मंच के उद्देश्य, दायित्व, कार्य प्रणाली, सत्र में नियोजित कार्ययोजना पर ब्रोशर तैयार करायेगा। ब्रोशर को प्रथम कार्यशाला के आयोजन से पूर्व समस्त अध्यापिकाओं को WhatsApp Group में भेजा जाना सुनिश्चित करेगा। ब्लॉक स्तर पर गत सत्रों की सक्रिय मंच सदस्याओं एवं अध्यक्षों से वार्ता कर ब्लॉक की आवश्यकतानुसार ब्रोशर को संशोधित किया जा सकेगा।

विशेष– प्रत्येक ब्लॉक पर अध्यापिका मंच के दो समूह होगें – एक प्रारम्भिक विद्यालयों/कक्षाओं से एवं अन्य माध्यमिक विद्यालयों से। दोनों समूहों की कोर समिति आपसी समन्वय से कार्य करेगी। किन्तु 2018–19 में अध्यापिका मंच के कार्यशालाओं का आयोजन पृथक–पृथक किया जायेगा।

प्रशिक्षक–प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण एवं सुगमकर्ता का अभिमुखीकरण

(1) प्रत्येक ब्लॉक से एक दक्ष–प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय अभिमुखीकरण होगा। मीना मंच एवं अध्यापिका मंच हेतु दक्ष प्रशिक्षक एक ही होगें अतः प्रशिक्षण भी एक ही होगा। जिसका विवरण मीना मंच में दिया जा चुका है।

(2) उक्त दक्ष–प्रशिक्षक प्राथमिकता से – (1) स्वयं के विद्यालय में मीना मंच और अध्यापिका मंच दोनों गतिविधियों में सम्मिलित हों। (2) प्रशिक्षण लेने एवं स्वयं के ब्लॉक पर एक/दो चरणों में प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम हों। (3) अध्यापिका मंच की कोर समिति की सदस्या भी हों।

(3) दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्रारम्भिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु बने मंचों की संबंलन समिति के सदस्यों के साथ संयुक्त बैठक कर अभिमुखीकरण की जाये और दोनों मंचों की सत्र की कार्ययोजना बनायी जाये।

(4) दक्ष प्रशिक्षक दोनों मंचों की कार्यशालाओं एवं उसकी पूर्व तैयारी की बैठकों में प्रतिभाग करेंगे और कार्यशालाओं के एजेण्ड़ा को तैयार करने एवं संदर्भ व्यक्तियों को चिन्हित करने में योगदान देंगे।

(5) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और **"बेटी पढ़ाओ"** पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष दिवसों (यथा अन्तर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस, बाल दिवस, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस, महिला दिवस) पर स्कूल/ब्लॉक/जिला स्तर पर "समारोह/वार्ता/कार्यक्रम" का आयोजन किया जायेगा।

विशेष – अध्यापिका मंच की समीक्षा एवं योजनाओं हेतु प्रति ब्लॉक संलग्न बजट अनुसार बैठक की जा सकेगी।

ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं

(1) अध्यापिका मंच की संचालन समिति होगी जिसकी सत्र में दो बैठकें होगी। प्रथम बैठक, क्षमता अभिवर्द्धन कार्यशालाओं की योजना निर्माण पर तथा दूसरी बैठक, उपलब्धियों व चुनौतियों की समीक्षा हेतु।

(2) संचालन समिति के सदस्यों का चयन ब्लॉक बीईईओ द्वारा (गाईडलाईन अनुसार) आरपी एवं गत सत्र में सर्वाधिक सक्रिय रहने वाली मंच सदस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। उक्त चयन हेतु ब्लॉक आरपी विद्यालयों को चिन्हित कर उससे एक शिक्षिका को सोशल मीडिया जैसे व्आट्स–अप आदि से जोड़ते हुए समूह बना कर करें।

(3) प्रत्येक मंच के लिए सत्र में दो दिवसीय दो कार्यशालाओं एवं एक दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। कार्यशालाओं हेतु **प्रति संभागी प्रतिदिन प्रति कार्यशाला 100 रुपये का प्रावधान है।** जिसे पूर्व की भांति प्रशिक्षण दरों के आधार पर व्यय किया जा सकेगा। मंच से जुड़ी समस्त शिक्षिकाओं को कार्यशाला में पूरे समय भाग लेना अनिवार्य होगा।

(4) जो शिक्षिकाएं मंच की सदस्य नहीं है उनके साथ भी सम्पर्क रखना और क्लस्टर स्तर पर कार्य विभाजन कर क्लस्टर–बैठकों के दौरान अथवा बाद में उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन करना।

(5) **अध्यापिका मंच संचालन समिति द्वारा ब्लॉक पर अर्न्तविभागीय समिति का गठन भी करेगी।** प्राथमिकता पर अध्यापिका मंच को डॉक्टर, वकील, पुलिस, लेखा सेवा, आदि से महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ जोड़ा जाये। इस हेतु अजमेर के जीजा–बाई मंच का उदाहरण लिया जा सकता है।

www.rajteachers.com

मंच की तीनों बैठकों में निम्नलिखित एजेण्ड़ा को लेते हुए आयोजित किया जाये। कार्यशाला का एजेण्ड़ा ऐतु संलग्नक–4 देखें। चारों कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें –

1. स्वयं को और अपने समूह का जानना– mapping area of capacity building, skill development
2. अपने विद्यालय को बालिका मैत्रिक विद्यालय बनाना।
3. बालिकाओं से संवाद के तरीकों को जानना और अपने मीना मंच एवं गार्गी मंच का प्रभावी संचालन।
4. जेण्डर स्टीरियोटाइप्स एवं मिथकों पर समालोचनात्मक संवाद।
5. महावारी स्वच्छता एवं प्रबंधन को जानाना और विद्यालय में संचालन में पहल करना।
6. बाल अधिकारों को जानना एवं उसकी जानकारी को बच्चों, समुदाय में पहुँचाना।

विशेष –

1. प्रथम कार्यशाला में मंच की कार्यकारिणी समिति का गठन होगा।
2. कार्यकारिणी समिति मंच के सभी सदस्यों से नामांकन प्रपत्र भरवायेगी जिसके आधार पर सदस्यों हेतु विभिन्न कौशल विकास एवं जानकारी आधारित विषयों पर संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित किया जायेगा।
1. अंतिम कार्यशाला में कार्यकारिणी समिति सत्र भर की गये कार्यों की समीक्षा हेतु सदस्यों के सुझाव एवं विचारों को आमंत्रित करेगी। सदस्यों से उक्त फीडबैक को सूचीबद्ध कर विश्लेषित किया जायेगा।
2. अगामी सत्रों में वित्तीय एवं गैर–वित्तीय तरीकों से अध्यापिका मंच के संचालन पर सदस्यों के विचार व सुझाव एकत्र करना।
3. ब्लॉक की समस्त अध्यापिकाओं को मंच से जोड़ने की रणनीति तैयार करना।
4. अध्यापिकाओं को अपनी भूमिका को प्रभावी ढ़ंग से अदा करने हेतु आवश्यक सहयोग के क्षेत्रों का चिन्हांकन करना।

विद्यालय स्तर पर

प्रत्येक अध्यापिका मंच सदस्या सत्र में उपरोक्तानुसार चार कार्यशालाएं होने के पश्चात अपने विद्यालय में कार्यशाला के एजेण्डानुसार कार्य करेगी। जिसके लिए उसे **सत्र में कम से कम चार कार्यशाला विद्यालय में आयोजित करनी होगी।** जिसमें से कम से कम एक कार्यशाला पृथक रूप से छात्राओं के साथ ही होगी। उक्त कार्यशालाओं में विद्यालय के समस्त विद्यार्थी सम्मिलित हों, इसको सुनिश्चित किया जाये।

विशेष– **विद्यालय स्तर पर अध्यापिका मंच की सदस्या उक्त कार्यशालाएं आयोजित करें, इस हेतु –**

- संस्थाप्रधान विद्यालय समयसारणी में कार्यशालाएं आयोजित करवाया जाने हेतु प्रावधान करेंगे।
- पीईईओ सुनिश्चित करेगें कि संस्थाप्रधान उक्तानुसारी विद्यालय समयसारणी में आवश्यक प्रबंध करें।
- सीबीईओ विद्यालय में कार्यशाला के एजेण्ड़ानुसार कार्य हो, इसकी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करेंगे।

उक्त चार कार्यशालाओं के अतिरिक्त सदस्या विद्यालय में स्वयं एवं सामूहिक स्तर पर पूर्व सत्रों में दिये गये कार्यबिन्दुओं पर भी पहल जारी रखे, जैसे –

(1) मीना मंच एवं गार्गी मंच को सक्रिय करना एवं बालिकाओं को नेतृत्व एवं समस्या समाधान कौशल विकास के अवसर देना।

(2) अपने विद्यालय में जेण्ड़र संवेदी एवं सुरक्षित विद्यालय वातावरण की गाईडलाईन को बच्चों के साथ चर्चा कर बनाना और उसे प्रत्येक कक्षा में चस्पा करना। उसके क्रियान्वयन की कार्ययोजना बनाना।

(3) सत्रपर्यन्त हेतु कार्ययोजना का निर्माण और मीना मंच एवं गार्गी मंच, बाल संसद, चाइल्ड़ राइट क्लब के माध्यम से क्रियान्वयन करना और प्रतिमाह आकलन करना।

(4) बच्चों के साथ नियमित क्रिटिकल डॉयलॉग स्थापित करना। इसका रिकार्ड भी संधारित करना।

(5) समुदाय (पीटीए, एसएमसी, पंचायत) को बच्चों की प्रगति और प्रतिमाह 4 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के बारे में सूचित करने हेतु पूर्व तैयारी करना एवं बैठक में आवश्यक बिन्दुओं पर उनसे संवाद करना।

www.rajteachers.com

(6) विद्यालय में गरिमा पेटी का सक्रिय उपयोग सुनिश्चित करना।
(7) शैक्षिक कठिनाईयों एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु बड्डी सिस्टम/पीयर लर्निंग का प्रयोग करना। बच्चों को समूह में कार्य करवाना। स्वयं अथवा पीयर मूल्यांकन का प्रयोग करना।
(8) कक्षा में प्रश्न बनाना–पूछना, बच्चों को पूछने हेतु प्रोत्साहित करना; एवं पढ़ने एवं लिखने के कौशल के विकास हेतु समस्त बच्चों हेतु साप्ताहिक प्रतियोगिताएं रखना एवं प्रोत्साहित करना।
(9) विद्यालय में "मेरा कार्नर" बनाना और प्रत्येक कक्षा से विद्यालय मैगजीन बनवाना।
(10) बच्चों की कार्यशालाएं करना – नाटक लिखवाना और करवाना। बच्चों को कहानियां सुनाना और उनसे सुनना। समुदाय के लोगों को भी इससे जोड़ना।
(11) सफल नवाचारों व उपलब्धियों को डॉक्यूमेन्ट कर उसे शिविरा में भेजना।

महिला दिवस उत्सव (जिला स्तरीय अध्यापिका प्रर्दशनी)
शिक्षिकाओं के क्षमता संवर्द्धलन एवं बालिका शिक्षा पर किये गये पहल को साझा करना

(1) जिले के समस्त अध्यापिका मंच द्वारा जिले स्तर पर एक स्तर/मंच से सत्र पर्यन्त किये गये सकारात्मक पहल/कार्यों को सभी के साथ साझा करना और एक–दूसरे से सीखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय प्रर्दशनी का आयोजन किया जायेगा। प्रदर्शनी में समस्त अध्यापिका मंच द्वारा स्वयं अध्यापिकाओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने, विद्यालयों में बालिका शिक्षा के समर्थक के रूप में जेण्डर संवेदी वातावरण निर्माण करने व उन्हें शिक्षा से जोड़ रखने के प्रयासों को प्रर्दशित किया जाये।
(2) उक्त मेले में प्रत्येक मंच/ब्लॉक से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक की शिक्षिकाओं के मंचों द्वारा प्रतिभागी किया जायेगा। प्रत्येक ब्लॉक से प्रारम्भिक एवं माध्यमिक के अध्यापिका मंच से 10–10 संभागी प्रतिभाग करेंगे। जिसमें से संयोजिका एवं सह–संयोजिका के अतिरिक्त अन्य वो शिक्षिकाएं होंगी जिन्होंने सत्र में मंच के उद्देश्यों के अनुरूप कोई अनुकारणीय कार्य किया हो। प्रति संभागियों रुपये 300 का प्रावधान है। जिसकी विस्तृत जानकारी पृथक से उपलब्ध करा दी जायेगी।
(3) प्रति जिला सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले मंच को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुरूस्कृत किया जाये।
(4) उक्त जिला स्तरीय प्रर्दशनी का आयोजन 8 मार्च 2019, महिला दिवस के अवसर पर बनाया जायेगा।

अपेक्षित परिणाम –

1. कक्षा 5 से 8 तक की बालिकाओं में 85 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाली बालिकाओं को पहचान कर व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करना एवं एसएमसी बैठक ऐजेण्डा में चर्चा करना। कक्षा 9 से 12 तक संभावित ड्रॉप आउट वाली बालिकाओं को पहचान कर रोकना।
2. कक्षा 5 से 12 तक की बालिकाओं के ठहराव हेतु विद्यालय में पूर्व चेतावनी प्रणाली (early warning system) बनाना एवं उसे सक्रिय करना।
3. बालिका मैत्रिक गाईडलाईन को स्टॉफ एवं बच्चों के साथ चर्चा कर विद्यालय हेतु कार्यकारी नियम बनाना एवं कोड ऑफ कन्डक्ट लागू करना।
4. बच्चों के साथ नियमित संवाद (क्रिटिकल डॉयलॉग) कर विभिन्न बाल–संरक्षा के नियमों/कानूनों की जानकारी देना।
5. महावारी स्वच्छता के मापदण्डों को स्कूल में लागू करवाना और बालिकाओं को आमुखीकृत करना।

अपेक्षित प्रावधान –

1. संचालन समिति सदस्यों की बैठकें – रुपये 100 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (प्रशिक्षण के नियमानुसार)
2. अध्यापिका मंच सदस्यों हेतु कार्यशाला – रुपये 100 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (प्रशिक्षण के नियमानुसार)
3. जिला स्तरीय प्रदर्शनी पर होने वाले व्यय के प्रावधानों से संबंधित विस्तृत निर्देश पृथक से भेजे जायेगें।

www.rajteachers.com

गतिविधि 4 – व्यावसायिक चुनाव पर दृष्टिकोण बनाना एवं परामर्श (Career Visioning & Career Counselling)

इस सत्र में इस गतिविधि का संचालन अध्यापिका मंच के नेतृत्व में किया जायेगा। उक्त गतिविधि माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं हेतु बनाये गये मंच के द्वारा स्वयं के विद्यालय में की जायेगी। इस हेतु मंच स्वयं के स्तर से ब्लॉक एवं जिला स्तरीय संस्थानों का नेटवर्क तैयार करे और समस्त चार कार्यशालाओं में एक–एक घण्टे हेतु आमंत्रित कर सभी सदस्याओं को संबंधित जानकारी प्रदान करवाना सुनिश्चित करें।

मंच की सदस्या स्वयं के विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की बालिकाओं के साथ दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगी। बालिकाओं की संख्या अधिक होने पर विद्यालय के अन्य शिक्षिक/शिक्षिकाओं को भी कार्यशाला में सम्मिलित किया जाये। उक्त कार्यशाला के आयोजन को सुनिश्चित करवाये जाने की समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।

कार्यशाला का आयोजन 12 जनवरी 2019 'करियर डे' से जोड़ते हुए इससे पूर्व 10 एवं 11 जनवरी को करवाया जाना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में मंच सदस्या बालिकाओं को स्वयं के भावी जीवन एवं करियर के लक्ष्य को समझने, उसमें आने वाली चुनौतियों को चिन्हित करने में मदद करेगी। इसके साथ ही उन सभी क्षेत्रों को समाचार पत्रों, आपसी जानकरियों, मंच की कार्यशालाओं में संस्थाओं द्वारा दिये गये जानकारियों की सूची बना बालिकाओं को भविष्य में संभावित समस्त क्षेत्रों एवं उसकी पूर्व आवश्यकताओं के बारे में बतायेगी। उक्त कार्यशाला के आयोजन में उपयोग में आने वाले चार्ट इत्यादि की आवश्यकता की पूर्ति विद्यालय की टीएलएम ग्रान्ट से की जाये। इस हेतु रुपये 100 प्रतिविद्यालय/प्रतिसदस्या भी दिये गये हैं, जिसे सदस्या स्वयं की आवयकतानुसार सामग्री क्रय हेतु कर सकेगी।

कार्यशाला के आयोजन संबंधी अन्य विवरण एवं जानकारियों अलग से प्रेषित की जायेंगी। कार्यशाला में करवायी जा सकने वाली कुछ गतिविधियों का प्रारूप एवं संदर्भ पृथक से भेजी जायेंगी।

उपरोक्त समस्त गतिवधियों की मॉनीटरिंग जिले स्तर से की जानी है। मॉनीटरिंग प्रपत्र हेतु संलग्नक–5 (तालिका 1 से 5) देखें। गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को प्रतिमाह दिनांक 10 तक रा.स्कू.शि.प. जयपुर को भेजी जाये और शाला दर्शन/दर्पण पर इसे प्रतिमाह अपडेट किया जाये। समस्त गतिविधियों हेतु वित्तीय प्रावधान एवं बजट का विवरण को संलग्नक–6 पर देखें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक
दिनांक : 4/10/2018

क्रमांक : 7179

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 निजी सचिव, शासन सचिव, (स्कूल) शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक –1, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6 उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ., जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
7 उपनिदेशक, समस्त जिले, समग्र शिक्षा अभियान।
8 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति सभी संबंधित बी.ई.ई.ओ एवं प्रधानाध्यापिका केजीबीवी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
9 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ।
10 समस्त, पीईईओ।
11 संबंधित, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/सीबीईईओ।
12 प्रधानाध्यापिका/वॉर्डन समस्त केजीबीवी।
13 रक्षित पत्रावली।

(स्नेहलता हारीत)
उपायुक्त, केजीबीवी

www.rajteachers.com

संलग्नक–5

मॉनीटरिंग प्रपत्र

तालिका–1: आत्मरक्षा प्रशिक्षण

क्र. सं.	समीक्षा के बिन्दु	प्राथमिक		उ0प्राथमिक		माध्यमिक		उ0माध्यमिक		कुल	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
1	आत्मरक्षा प्रशिक्षण में जिले स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कुल प्रशिक्षक										
2	विद्यालयों की संख्या जहाँ शिक्षक ने आत्मरक्षा पर 8 दिवसीय प्रशिक्षण लिया										
	आत्मरक्षा प्रशिक्षण– प्रारम्भिक स्तर पर										
1	विद्यालयों की संख्या जहाँ आत्मरक्षा प्रशिक्षण का संचालन हुआ										
2	विद्यालयों की संख्या जहाँ न्यूनतम 45 दिन आत्मरक्षा प्रशिक्षण का संचालन हुआ										
3	45 दिवसीय प्रशिक्षण से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या										
4	विद्यालयों की संख्या जहाँ न्यूनतम दो सत्र आत्मरक्षा विषय पर पुलिस विभाग/कोर्ट–वकील/सीडब्लूसी सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित किये गये										
	आत्मरक्षा प्रशिक्षण– माध्यमिक स्तर पर										
1	विद्यालयों की संख्या जहाँ आत्मरक्षा प्रशिक्षण का संचालन हुआ										
2	विद्यालयों की संख्या जहाँ न्यूनतम 30 दिन आत्मरक्षा प्रशिक्षण का संचालन हुआ										
3	30 दिवसीय प्रशिक्षण से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या										
4	विद्यालयों की संख्या जहाँ न्यूनतम दो सत्र आत्मरक्षा विषय पर पुलिस विभाग/कोर्ट–वकील/सीडब्लूसी सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित किये गये										
	कुल व्यय										

www.rajteachers.com

www.rajteachers.com

तालिका–2: मीना मंच

क्र.सं.	समीक्षा के बिन्दु	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		उच्च माध्यमिक विद्यालय		कुल		व्यय
1	स्कूलों की संख्या जहां मीना मंच का गठन हुआ है।											
2	स्कूलों की संख्या जहा मीना मंच सक्रिय है – सत्रपर्यन्त कम से कम पांच गतिविधियों का संचालन करवाया गया हो।											
		महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	
3	स्कूलों की संख्या जहां प्रशिक्षित सुगमकर्ता है।											
4	मीना मंच (समिति) के सदस्यों की संख्या											
5	ब्लॉक की संख्या जहां मीना मेले का आयोजन किया गया											
6	स्कूलों की संख्या जिन्होंने ब्लॉक स्तरीय मीना मेले में प्रतिभाग किया											
7	स्कूलों की संख्या जिन्होंने जिला स्तरीय मीना मेले में भाग लिया											
8	जिले में संचालित मॉडल/अनुकरणीय मीना मंचों की संख्या											
	कुल व्यय											

तालिका–3: गार्गी मंच

क्र.सं.	समीक्षा के बिन्दु	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		उच्च माध्यमिक विद्यालय		कुल		व्यय
1	स्कूलों की संख्या जहां गार्गी मंच का गठन हुआ है।											
2	स्कूलों की संख्या जहां गार्गी मंच सक्रिय है – सत्रपर्यन्त कम से कम तीन गतिविधियों का संचालन करवाया गया हो।											
		महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	महिला/ बालिका	पुरूष/ बालक	
3	स्कूलों की संख्या जहां प्रशिक्षित सुगमकर्ता है।											
4	गार्गी मंच (समिति) के सदस्यों की संख्या											
5	जिले में संचालित मॉडल गार्गी मंचों की संख्या											
	कुल व्यय											

तालिका–4: अध्यापिका मंच

क्र. सं.	समीक्षा के बिन्दु	ब्लॉक की संख्या	संभागियों की संख्या					व्यय
			प्राथमिक	उ0प्राथमिक	माध्यमिक	उ0माध्यमिक	कुल	
	अध्यापिका मंच– प्रारम्भिक स्तर पर							
1	ब्लॉक की संख्या जहां अध्यापिका मंच –प्रा0, का गठन हुआ है।							
2	अध्यापिका मंच – प्रा0 में सदस्यों की संख्या							
3	प्रथम कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सदस्याओं की संख्या							
4	द्वितीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सदस्याओं की संख्या							
5	तृतीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सदस्याओं की संख्या							
6	कितनी सदस्यों ने जिला स्तरीय प्रर्दशनी में भाग लिया							
	अध्यापिका मंच– माध्यमिक स्तर पर							
3	ब्लॉक की संख्या जहां अध्यापिका मंच –मा0, का गठन हुआ है।							
4	अध्यापिका मंच् – मा0 में सदस्यों की संख्या							
3	प्रथम कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सदस्याओं की संख्या							
4	द्वितीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सदस्याओं की संख्या							
5	तृतीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सदस्याओं की संख्या							
6	कितनी सदस्यों ने जिला स्तरीय प्रर्दशनी में भाग लिया							
	अध्यापिका मंच– करियर विजनिंग							
1	विद्यालयों की संख्या जहां करियर विजनिंग पर न्यूनतम दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।							
2	करियर विजनिंग कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं की संख्या।							
	कुल व्यय							

www.rajteachers.com

तालिका–5: वित्तीय व्यय तालिका

क्र. सं.	समीक्षा के बिन्दु	ब्लॉक कवरेज	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	कुल वित्तीय प्र
			प्राथमिक	उ0प्राथमिक		माध्यमिक	उ0माध्यमिक		
	आत्मरक्षा प्रशिक्षण								
1	प्रशिक्षक प्रशिक्षण								
2	शिक्षक प्रशिक्षण								
3	बालिकाओं को प्रशिक्षण								
4	बालिकाओं के साथ वार्ता								
	कुल								
	मीना मंच एवं गार्गी मंच								
1	सुगमकर्ता प्रशिक्षण								
2	ब्लॉक स्तरीय मीना मेला								
3	जिला स्तरीय मीना मेला								
	कुल								
	अध्यापिका मंच								
1	पहली कार्यशाला में लाभान्वित संभागियों की संख्या								
2	पहली कार्यशाला में लाभान्वित संभागियों की संख्या								
3	पहली कार्यशाला में लाभान्वित संभागियों की संख्या								
4	जिला प्रर्दशनी में प्रतिभाग करने वाली संभागियों की संख्या								
	कुल								
	करियर विजनिंग								
1	विजनिंग कार्यशाला आयोजित करने वाली विद्यालयों की संख्या								
2	कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं की सख्या								
	कुल								
	जिले पर बालिका शिक्षा पर समस्त व्यय								

www.rajteachers.com

MEENA RAJU - GARGI MANCH

S N	District	No. of blocks	No. of PS	No. of UPS	No. fo SS+SSS	Budget Details: Meena-Raju Manch & Gargi Manch — One Day 2 time training One teacher/ Upper Primary Schools				One Day 2 times training Two teacher/ Secondary & Sr Secondary Schools				TOTAL BUDGET for Orientation
						Phy	Day	Unit cost	Budget	Phy	Day	Unit cost	Budget	
1	Ajmer	10	657	631	491	631	2	100	126,200	982	2	100	196,400	322,600
2	Alwar	14	970	988	741	988	2	100	197,600	1482	2	100	296,400	494,000
3	Banswara	11	1700	451	439	451	2	100	90,200	878	2	100	175,600	265,800
4	Baran	7	546	381	285	381	2	100	76,200	570	2	100	114,000	190,200
5	Barmer	17	2771	1209	671	1209	2	100	241,800	1342	2	100	268,400	510,200
6	Bharatpur	10	586	552	521	552	2	100	110,400	1042	2	100	208,400	318,800
7	Bhilwara	12	1353	887	537	887	2	100	177,400	1074	2	100	214,800	392,200
8	Bikaner	7	1083	430	414	430	2	100	86,000	828	2	100	165,600	251,600
9	Bundi	5	591	358	257	358	2	100	71,600	514	2	100	102,800	174,400
10	Chittaurgarh	11	769	601	388	601	2	100	120,200	776	2	100	155,200	275,400
11	Churu	7	357	496	482	496	2	100	99,200	964	2	100	192,800	292,000
12	Dausa	6	656	436	346	436	2	100	87,200	692	2	100	138,400	225,600
13	Dhaulpur	5	525	280	278	280	2	100	56,000	556	2	100	111,200	167,200
14	Dungarpur	10	1405	426	367	426	2	100	85,200	734	2	100	146,800	232,000
15	Ganganagar	9	868	558	463	558	2	100	111,600	926	2	100	185,200	296,800
16	Hanumangarh	7	298	394	343	394	2	100	78,800	686	2	100	137,200	216,000
17	Jaipur	19	1356	1090	871	1090	2	100	218,000	1742	2	100	348,400	566,400
18	Jaisalmer	3	721	262	181	262	2	100	52,400	362	2	100	72,400	124,800
19	Jalore	8	961	507	370	507	2	100	101,400	740	2	100	148,000	249,400
20	Jhalawar	8	760	577	311	577	2	100	115,400	622	2	100	124,400	239,800
21	Jhunjhunu	8	473	504	486	504	2	100	100,800	972	2	100	194,400	295,200
22	Jodhpur	17	1944	793	655	793	2	100	158,600	1310	2	100	262,000	420,600
23	Karauli	6	671	373	304	373	2	100	74,600	608	2	100	121,600	196,200
24	Kota	6	356	379	304	379	2	100	75,800	608	2	100	121,600	197,400
25	Nagaur	14	1305	878	710	878	2	100	175,600	1420	2	100	284,000	459,600
26	Pali	10	557	685	474	685	2	100	137,000	948	2	100	189,600	326,600
27	Pratapgarh	5	830	300	202	300	2	100	60,000	404	2	100	80,800	140,800
28	Rajsamand	7	837	532	285	532	2	100	106,400	570	2	100	114,000	220,400
29	S. Madhopur	6	427	294	278	294	2	100	58,800	556	2	100	111,200	170,000
30	Sikar	9	573	667	565	667	2	100	133,400	1130	2	100	226,000	359,400
31	Sirohi	5	453	220	222	220	2	100	44,000	444	2	100	88,800	132,800
32	Tonk	6	586	477	315	477	2	100	95,400	630	2	100	126,000	221,400
33	Udaipur	17	2348	773	711	773	2	100	154,600	1422	2	100	284,400	439,000
	Total	302	30,293	18,389	14,267	18,389		3,300	3,677,800	28,534		3,300	5,706,800	9,384,600

www.rajteachers.com

MEENA RAJU - GARGI

S N	District	Budget for Mela								Budget for Meena Manch & Gargi Manch		
		Block Level Meena Mela 15% of UPS x 6 persons x Rs100				District level Meena Mela 12 sch x 6 persons x Rs200			Total Budget for Mela			
		MM/ Blk	Phy	Unit Cost	Budget	Phy	Unit Cost	Budget		Elementary	Sec +Sr.Sec	G.Total
1	Ajmer	10	100	600	60,000	12	1,200	14,400	74,400	200,600	196,400	397,000
2	Alwar	12	168	600	100,800	12	1,200	14,400	115,200	312,800	296,400	609,200
3	Banswara	6	66	600	39,600	12	1,200	14,400	54,000	144,200	175,600	319,800
4	Baran	8	49	600	29,400	12	1,200	14,400	43,800	120,000	114,000	234,000
5	Barmer	13	221	600	132,600	12	1,200	14,400	147,000	388,800	268,400	657,200
6	Bharatpur	9	90	600	54,000	12	1,200	14,400	68,400	178,800	208,400	387,200
7	Bhilwara	13	156	600	93,600	12	1,200	14,400	108,000	285,400	214,800	500,200
8	Bikaner	9	63	600	37,800	12	1,200	14,400	52,200	138,200	165,600	303,800
9	Bundi	10	50	600	30,000	12	1,200	14,400	44,400	116,000	102,800	218,800
10	Chittaurgarh	9	99	600	59,400	12	1,200	14,400	73,800	194,000	155,200	349,200
11	Churu	11	77	600	46,200	12	1,200	14,400	60,600	159,800	192,800	352,600
12	Dausa	11	66	600	39,600	12	1,200	14,400	54,000	141,200	138,400	279,600
13	Dhaulpur	6	30	600	18,000	12	1,200	14,400	32,400	88,400	111,200	199,600
14	Dungarpur	6	60	600	36,000	12	1,200	14,400	50,400	135,600	146,800	282,400
15	Ganganagar	10	90	600	54,000	12	1,200	14,400	68,400	180,000	185,200	365,200
16	Hanumangarh	8	56	600	33,600	12	1,200	14,400	48,000	126,800	137,200	264,000
17	Jaipur	11	190	600	114,000	12	1,200	14,400	128,400	346,400	348,400	694,800
18	Jaisalmer	10	30	600	18,000	12	1,200	14,400	32,400	84,800	72,400	157,200
19	Jalore	10	80	600	48,000	12	1,200	14,400	62,400	163,800	148,000	311,800
20	Jhalawar	12	96	600	57,600	12	1,200	14,400	72,000	187,400	124,400	311,800
21	Jhunjhunu	10	80	600	48,000	12	1,200	14,400	62,400	163,200	194,400	357,600
22	Jodhpur	8	136	600	81,600	12	1,200	14,400	96,000	254,600	262,000	516,600
23	Karauli	9	48	600	28,800	12	1,200	14,400	43,200	117,800	121,600	239,400
24	Kota	9	54	600	32,400	12	1,200	14,400	46,800	122,600	121,600	244,200
25	Nagaur	11	154	600	92,400	12	1,200	14,400	106,800	282,400	284,000	566,400
26	Pali	12	110	600	66,000	12	1,200	14,400	80,400	217,400	189,600	407,000
27	Pratapgarh	8	35	600	21,000	12	1,200	14,400	35,400	95,400	80,800	176,200
28	Rajsamand	12	84	600	50,400	12	1,200	14,400	64,800	171,200	114,000	285,200
29	S. Madhopur	6	36	600	21,600	12	1,200	14,400	36,000	94,800	111,200	206,000
30	Sikar	13	108	600	64,800	12	1,200	14,400	79,200	212,600	226,000	438,600
31	Sirohi	4	20	600	12,000	12	1,200	14,400	26,400	70,400	88,800	159,200
32	Tonk	13	72	600	43,200	12	1,200	14,400	57,600	153,000	126,000	279,000
33	Udaipur	8	136	600	81,600	12	1,200	14,400	96,000	250,600	284,400	535,000
	Total	321	2,910		1,746,000	396		475,200	2,221,200	5,899,000	5,706,800	11,605,800

www.rajteachers.com

ADHYAPIKA MANCH

S N	District	No. of blocks	No. of PS	No. of UPS	No. fo SS+SSS	Budget Estimation for WRK (Rs.800/Sch)			Workshops for Members										
						Total Budget for UPS	Budget available for PS		UPS = 3 workshops (2+1+2 days = 5 days * Rs 100)			Select PS = 3 workshops (2+1+2 days = 5 days * Rs 100)					Sec/Sr.Sec (2+1+2 days =	
							Budget 4 PS	No of sch/Blk	Phy	Unit cost	Budget	PS Tr/ Block	Phy	Unit Cost	Budget	(No of Members at Block)	Phy	Unit cost
1	Ajmer	10	657	631	491	504,800	189,300	37.86	631	500	315,500	37	379	500	189,300	101	491	500
2	Alwar	14	970	988	741	790,400	296,400	42.34	988	500	494,000	42	593	500	296,400	113	741	500
3	Banswara	11	1700	451	439	360,800	135,300	24.60	451	500	225,500	24	271	500	135,300	66	439	500
4	Baran	7	546	381	285	304,800	114,300	32.66	381	500	190,500	32	229	500	114,300	87	285	500
5	Barmer	17	2771	1209	671	967,200	362,700	42.67	1209	500	604,500	42	725	500	362,700	114	671	500
6	Bharatpur	10	586	552	521	441,600	165,600	33.12	552	500	276,000	33	331	500	165,600	88	521	500
7	Bhilwara	12	1353	887	537	709,600	266,100	44.35	887	500	443,500	44	532	500	266,100	118	537	500
8	Bikaner	7	1083	430	414	344,000	129,000	36.86	430	500	215,000	36	258	500	129,000	98	414	500
9	Bundi	5	591	358	257	286,400	107,400	42.96	358	500	179,000	43	215	500	107,400	115	257	500
10	Chittaurgarh	11	769	601	388	480,800	180,300	32.78	601	500	300,500	32	361	500	180,300	87	388	500
11	Churu	7	357	496	482	396,800	148,800	42.51	496	500	248,000	42	298	500	148,800	113	482	500
12	Dausa	6	656	436	346	348,800	130,800	43.60	436	500	218,000	43	262	500	130,800	116	346	500
13	Dhaulpur	5	525	280	278	224,000	84,000	33.60	280	500	140,000	33	168	500	84,000	90	278	500
14	Dungarpur	10	1405	426	367	340,800	127,800	25.56	426	500	213,000	25	256	500	127,800	68	367	500
15	Ganganagar	9	868	558	463	446,400	167,400	37.20	558	500	279,000	37	335	500	167,400	99	463	500
16	Hanumangarh	7	298	394	343	315,200	118,200	33.77	394	500	197,000	33	236	500	118,200	90	343	500
17	Jaipur	19	1356	1090	871	872,000	327,000	34.42	1090	500	545,000	34	654	500	327,000	92	871	500
18	Jaisalmer	3	721	262	181	209,600	78,600	52.40	262	500	131,000	52	157	500	78,600	140	181	500
19	Jalore	8	961	507	370	405,600	152,100	38.03	507	500	253,500	38	304	500	152,100	101	370	500
20	Jhalawar	8	760	577	311	461,600	173,100	43.28	577	500	288,500	43	346	500	173,100	115	311	500
21	Jhunjhunu	8	473	504	486	403,200	151,200	37.80	504	500	252,000	37	302	500	151,200	101	486	500
22	Jodhpur	17	1944	793	655	634,400	237,900	27.99	793	500	396,500	28	476	500	237,900	75	655	500
23	Karauli	6	671	373	304	298,400	111,900	37.30	373	500	186,500	37	224	500	111,900	99	304	500
24	Kota	6	356	379	304	303,200	113,700	37.90	379	500	189,500	38	227	500	113,700	101	304	500
25	Nagaur	14	1305	878	710	702,400	263,400	37.63	878	500	439,000	37	527	500	263,400	100	710	500
26	Pali	10	557	685	474	548,000	205,500	41.10	685	500	342,500	41	411	500	205,500	110	474	500
27	Pratapgarh	5	830	300	202	240,000	90,000	36.00	300	500	150,000	36	180	500	90,000	96	202	500
28	Rajsamand	7	837	532	285	425,600	159,600	45.63	532	500	266,000	45	319	500	159,600	122	285	500
29	S. Madhopur	6	427	294	278	235,200	88,200	29.40	294	500	147,000	29	176	500	88,200	78	278	500
30	Sikar	9	573	667	565	533,600	200,100	44.47	667	500	333,500	44	400	500	200,100	119	565	500
31	Sirohi	5	453	220	222	176,000	66,000	26.40	220	500	110,000	26	132	500	66,000	70	222	500
32	Tonk	6	586	477	315	381,600	143,100	47.70	477	500	238,500	47	286	500	143,100	127	315	500
33	Udaipur	17	2348	773	711	618,400	231,900	27.28	773	500	386,500	27	464	500	231,900	73	711	500
	Total	**302**	**30,293**	**18,389**	**14,267**	**14,711,200**	**5,516,700**	**1,231**	**18,389**		**9,194,500**	**1,217**	**11,033**		**5,516,700**		**14,267**	

www.rajteachers.com

ADHYAPIKA

S N	District	= 3 workshops * 5 days * Rs 100)		Budget estimation for Exhibition								Remaining Budget	District Exhibition Budget						Budget Total
				Budget from Ele				Budget from Sec					Elementary			Secondary			
		Budget	(No of Members at Block)	Budget for District Exhibition (total UPS x 25 = total budget)		No of Tr (20x Rs.150)	% of Trs	Budget for District Exhibition (total S/SS x 25 = total budget)		No of Tr (20x Rs.150)	% of Trs		Phy (12% Tr)	Unit cost	Budget	Phy (12% Tr)	Unit cost	Budget	
1	Ajmer	245,500	49	15,775	52.6	52	12	12,275	40.9	40	12	450	52	300	15,600	40	300	12,000	27,600
2	Alwar	370,500	53	24,700	82.3	82	12	18,525	61.8	61	12	325	82	300	24,600	61	300	18,300	42,900
3	Banswara	219,500	40	11,275	37.6	37	12	10,975	36.6	36	12	350	37	300	11,100	36	300	10,800	21,900
4	Baran	142,500	41	9,525	31.8	31	12	7,125	23.8	23	12	450	31	300	9,300	23	300	6,900	16,200
5	Barmer	335,500	39	30,225	100.8	100	12	16,775	55.9	55	12	500	100	300	30,000	55	300	16,500	46,500
6	Bharatpur	260,500	52	13,800	46.0	46	12	13,025	43.4	43	12	125	46	300	13,800	43	300	12,900	26,700
7	Bhilwara	268,500	45	22,175	73.9	73	12	13,425	44.8	44	12	500	73	300	21,900	44	300	13,200	35,100
8	Bikaner	207,000	59	10,750	35.8	35	12	10,350	34.5	34	12	400	35	300	10,500	34	300	10,200	20,700
9	Bundi	128,500	51	8,950	29.8	29	12	6,425	21.4	21	12	375	29	300	8,700	21	300	6,300	15,000
10	Chittaurgarh	194,000	35	15,025	50.1	50	12	9,700	32.3	32	12	125	50	300	15,000	32	300	9,600	24,600
11	Churu	241,000	69	12,400	41.3	41	12	12,050	40.2	40	12	150	41	300	12,300	40	300	12,000	24,300
12	Dausa	173,000	58	10,900	36.3	36	12	8,650	28.8	28	12	350	36	300	10,800	28	300	8,400	19,200
13	Dhaulpur	139,000	56	7,000	23.3	23	12	6,950	23.2	23	12	150	23	300	6,900	23	300	6,900	13,800
14	Dungarpur	183,500	37	10,650	35.5	35	12	9,175	30.6	30	12	325	35	300	10,500	30	300	9,000	19,500
15	Ganganagar	231,500	51	13,950	46.5	46	12	11,575	38.6	38	12	325	46	300	13,800	38	300	11,400	25,200
16	Hanumangarh	171,500	49	9,850	32.8	32	12	8,575	28.6	28	12	425	32	300	9,600	28	300	8,400	18,000
17	Jaipur	435,500	46	27,250	90.8	90	12	21,775	72.6	72	12	425	90	300	27,000	72	300	21,600	48,600
18	Jaisalmer	90,500	60	6,550	21.8	21	12	4,525	15.1	15	12	275	21	300	6,300	15	300	4,500	10,800
19	Jalore	185,000	46	12,675	42.3	42	12	9,250	30.8	30	12	325	42	300	12,600	30	300	9,000	21,600
20	Jhalawar	155,500	39	14,425	48.1	48	12	7,775	25.9	25	12	300	48	300	14,400	25	300	7,500	21,900
21	Jhunjhunu	243,000	61	12,600	42.0	42	12	12,150	40.5	40	12	150	42	300	12,600	40	300	12,000	24,600
22	Jodhpur	327,500	39	19,825	66.1	66	12	16,375	54.6	54	12	200	66	300	19,800	54	300	16,200	36,000
23	Karauli	152,000	51	9,325	31.1	31	12	7,600	25.3	25	12	125	31	300	9,300	25	300	7,500	16,800
24	Kota	152,000	51	9,475	31.6	31	12	7,600	25.3	25	12	275	31	300	9,300	25	300	7,500	16,800
25	Nagaur	355,000	51	22,950	73.2	73	12	17,750	59.2	59	12	100	73	300	21,900	59	300	17,700	39,600
26	Pali	237,000	47	17,125	57.1	57	12	11,850	39.5	39	12	175	57	300	17,100	39	300	11,700	28,800
27	Pratapgarh	101,000	40	7,500	25.0	25	12	5,050	16.8	16	13	250	25	300	7,500	16	300	4,800	12,300
28	Rajsamand	142,500	41	13,300	44.3	44	12	7,125	23.8	23	12	325	44	300	13,200	23	300	6,900	20,100
29	S Madhopur	139,000	46	7,350	24.5	25	12	6,950	23.2	23	12	200	24	300	7,200	23	300	6,900	14,100
30	Sikar	282,500	63	16,675	55.6	55	12	14,125	47.1	47	12	200	55	300	16,500	47	300	14,100	30,600
31	Sirohi	111,000	44	5,500	18.3	18	12	5,550	18.5	18	12	250	18	300	5,400	18	300	5,400	10,800
32	Tonk	157,500	53	11,925	39.8	39	12	7,875	26.3	26	12	300	39	300	11,700	26	300	7,800	19,500
33	Udaipur	355,500	42	19,325	64.4	64	12	17,775	59.3	59	12	200	64	300	19,200	59	300	17,700	36,900
	Total	**7,133,500**		459,725	1,532.4	1,519	12	356,675	1,188.9	1,172	12	9,400	**1,518**		**455,400**	**1,172**		**351,600**	**807,000**

www.rajteachers.com

ADHYAPIKA

S N	District	Budget for Adhyapika Manch		
		Elementary Schools	Secondary & Sr Secondary Schools	TOTAL
1	Ajmer	520,400	257,500	777,900
2	Alwar	815,000	388,800	1,203,800
3	Banswara	371,900	230,300	602,200
4	Baran	314,100	149,400	463,500
5	Barmer	997,200	352,000	1,349,200
6	Bharatpur	455,400	273,400	728,800
7	Bhilwara	731,500	281,700	1,013,200
8	Bikaner	354,500	217,200	571,700
9	Bundi	295,100	134,800	429,900
10	Chittaurgarh	495,800	203,600	699,400
11	Churu	409,100	253,000	662,100
12	Dausa	359,600	181,400	541,000
13	Dhaulpur	230,900	145,900	376,800
14	Dungarpur	351,300	192,500	543,800
15	Ganganagar	460,200	242,900	703,100
16	Hanumangarh	324,800	179,900	504,700
17	Jaipur	899,000	457,100	1,356,100
18	Jaisalmer	215,900	95,000	310,900
19	Jalore	418,200	194,000	612,200
20	Jhalawar	476,000	163,000	639,000
21	Jhunjhunu	415,800	255,000	670,800
22	Jodhpur	654,200	343,700	997,900
23	Karauli	307,700	159,500	467,200
24	Kota	312,500	159,500	472,000
25	Nagaur	724,300	372,700	1,097,000
26	Pali	565,100	248,700	813,800
27	Pratapgarh	247,500	105,800	353,300
28	Rajsamand	438,800	149,400	588,200
29	S. Madhopur	242,400	145,900	388,300
30	Sikar	550,100	296,600	846,700
31	Sirohi	181,400	116,400	297,800
32	Tonk	393,300	165,300	558,600
33	Udaipur	637,600	373,200	1,010,800
Total		15,166,600	7,485,100	22,651,700

www.rajteachers.com

MT TRAINING

S N	District	No. of blocks	No. of PS	No. of UPS	No. fo SS+SSS	Budget for MT training @ districts (3 days training + 1 day review)								Plan + Review Mtg	
						Ele- MT Trg @ District (3 days x 100 + 1 day x 100)			Sec- MT Trg @ District (3 days x 100 + 1 day x 100)			Total MTs @ district training	TOTAL Budget	Elementary Budget for 2 mtg (2 mtg x 1 psn x 100)	Secondary Budget for 2 mtg (2 mtg x 1 psn x 100)
						Tr required MM	Unit cost	Budget	Tr required GM	Unit cost	Budget				
1	Ajmer	10	657	631	491	32	400	12,620	25	400	9,820	56	22,440	2,000	2,000
2	Alwar	14	970	988	741	49	400	19,760	37	400	14,820	86	34,580	2,800	2,800
3	Banswara	11	1700	451	439	23	400	9,020	22	400	8,780	45	17,800	2,200	2,200
4	Baran	7	546	381	285	19	400	7,620	14	400	5,700	33	13,320	1,400	1,400
5	Barmer	17	2771	1209	671	60	400	24,180	34	400	13,420	94	37,600	3,400	3,400
6	Bharatpur	10	586	552	521	28	400	11,040	26	400	10,420	54	21,460	2,000	2,000
7	Bhilwara	12	1353	887	537	44	400	17,740	27	400	10,740	71	28,480	2,400	2,400
8	Bikaner	7	1083	430	414	22	400	8,600	21	400	8,280	42	16,880	1,400	1,400
9	Bundi	5	591	358	257	18	400	7,160	13	400	5,140	31	12,300	1,000	1,000
10	Chittaurgarh	11	769	601	388	30	400	12,020	19	400	7,760	49	19,780	2,200	2,200
11	Churu	7	357	496	482	25	400	9,920	24	400	9,640	49	19,560	1,400	1,400
12	Dausa	6	656	436	346	22	400	8,720	17	400	6,920	39	15,640	1,200	1,200
13	Dhaulpur	5	525	280	278	14	400	5,600	14	400	5,560	28	11,160	1,000	1,000
14	Dungarpur	10	1405	426	367	21	400	8,520	18	400	7,340	40	15,860	2,000	2,000
15	Ganganagar	9	868	558	463	28	400	11,160	23	400	9,260	51	20,420	1,800	1,800
16	Hanumangarh	7	298	394	343	20	400	7,880	17	400	6,860	37	14,740	1,400	1,400
17	Jaipur	19	1356	1090	871	55	400	21,800	44	400	17,420	98	39,220	3,800	3,800
18	Jaisalmer	3	721	262	181	13	400	5,240	9	400	3,620	22	8,860	600	600
19	Jalore	8	961	507	370	25	400	10,140	19	400	7,400	44	17,540	1,600	1,600
20	Jhalawar	8	760	577	311	29	400	11,540	16	400	6,220	44	17,760	1,600	1,600
21	Jhunjhunu	8	473	504	486	25	400	10,080	24	400	9,720	50	19,800	1,600	1,600
22	Jodhpur	17	1944	793	655	40	400	15,860	33	400	13,100	72	28,960	3,400	3,400
23	Karauli	6	671	373	304	19	400	7,460	15	400	6,080	34	13,540	1,200	1,200
24	Kota	6	356	379	304	19	400	7,580	15	400	6,080	34	13,660	1,200	1,200
25	Nagaur	14	1305	878	710	44	400	17,560	36	400	14,200	79	31,760	2,800	2,800
26	Pali	10	557	685	474	34	400	13,700	24	400	9,480	58	23,180	2,000	2,000
27	Pratapgarh	5	830	300	202	15	400	6,000	10	400	4,040	25	10,040	1,000	1,000
28	Rajsamand	7	837	532	285	27	400	10,640	14	400	5,700	41	16,340	1,400	1,400
29	S. Madhopur	6	427	294	278	15	400	5,880	14	400	5,560	29	11,440	1,200	1,200
30	Sikar	9	573	667	585	33	400	13,340	28	400	11,300	62	24,640	1,800	1,800
31	Sirohi	5	453	220	222	11	400	4,400	11	400	4,440	22	8,840	1,000	1,000
32	Tonk	6	586	477	315	24	400	9,540	16	400	6,300	40	15,840	1,200	1,200
33	Udaipur	17	2348	773	711	39	400	15,460	36	400	14,220	74	29,680	3,400	3,400
	Total	**302**	**30,293**	**18,389**	**14,267**	**919**		**367,780**	**713**		**285,340**	**1,633**	**653,120**	**60,400**	**60,400**

www.rajteachers.com

CAREER GUIDANCE

S N	District	No. of blocks	No. of PS	No. of UPS	No. fo SS+SSS	Budget for Career Guidance Secondary & Sr Secondary Schools		
						Phy	Unit cost	Budget
1	Ajmer	10	657	631	491	491	200	98,200
2	Alwar	14	970	988	741	741	200	148,200
3	Banswara	11	1700	451	439	439	200	87,800
4	Baran	7	546	381	285	285	200	57,000
5	Barmer	17	2771	1209	671	671	200	134,200
6	Bharatpur	10	586	552	521	521	200	104,200
7	Bhilwara	12	1353	887	537	537	200	107,400
8	Bikaner	7	1083	430	414	414	200	82,800
9	Bundi	5	591	358	257	257	200	51,400
10	Chittaurgarh	11	769	601	388	388	200	77,600
11	Churu	7	357	496	482	482	200	96,400
12	Dausa	6	656	436	346	346	200	69,200
13	Dhaulpur	5	525	280	278	278	200	55,600
14	Dungarpur	10	1405	426	367	367	200	73,400
15	Ganganagar	9	868	558	463	463	200	92,600
16	Hanumangarh	7	298	394	343	343	200	68,600
17	Jaipur	19	1356	1090	871	871	200	174,200
18	Jaisalmer	3	721	262	181	181	200	36,200
19	Jalore	8	961	507	370	370	200	74,000
20	Jhalawar	8	760	577	311	311	200	62,200
21	Jhunjhunu	8	473	504	486	486	200	97,200
22	Jodhpur	17	1944	793	655	655	200	131,000
23	Karauli	6	671	373	304	304	200	60,800
24	Kota	6	356	379	304	304	200	60,800
25	Nagaur	14	1305	878	710	710	200	142,000
26	Pali	10	557	685	474	474	200	94,800
27	Pratapgarh	5	830	300	202	202	200	40,400
28	Rajsamand	7	837	532	285	285	200	57,000
29	S. Madhopur	6	427	294	278	278	200	55,600
30	Sikar	9	573	667	565	565	200	113,000
31	Sirohi	5	453	220	222	222	200	44,400
32	Tonk	6	586	477	315	315	200	63,000
33	Udaipur	17	2348	773	711	711	200	142,200
Total		**302**	**30,293**	**18,389**	**14,267**	**14,267**		**2,853,400**

www.rajteachers.com

EMPOWERMENT OF GIRLS

S N	District	Budget for MTs training, meetings @ district			Budget for Adhyapika Manch (inclu. MT training)			Budget for Career Guidance	Budget for Meena Manch & Gargi Manch			Totals for district level activities		
		Elementary Schools	Secondary & Sr Secondary Schools	TOTAL	Elementary Schools	Sec. & Sr Secondary Schools	TOTAL	Sec. & Sr Secondary Schools	Elementary Schools	Sec. & Sr Secondary Schools	TOTAL	Elementary Schools	Sec. & Sr Secondary Schools	TOTAL
1	Ajmer	14,620	11,820	26,440	520,400	257,500	777,900	98,200	200,600	196,400	397,000	735,620	563,920	1,299,540
2	Alwar	22,560	17,620	40,180	815,000	388,800	1,203,800	148,200	312,800	296,400	609,200	1,150,360	851,020	2,001,380
3	Banswara	11,220	10,980	22,200	371,900	230,300	602,200	87,800	144,200	175,600	319,800	527,320	504,680	1,032,000
4	Baran	9,020	7,100	16,120	314,100	149,400	463,500	57,000	120,000	114,000	234,000	443,120	327,500	770,620
5	Barmer	27,580	16,820	44,400	997,200	352,000	1,349,200	134,200	388,800	268,400	657,200	1,413,580	771,420	2,185,000
6	Bharatpur	13,040	12,420	25,460	455,400	273,400	728,800	104,200	178,800	208,400	387,200	647,240	598,420	1,245,660
7	Bhilwara	20,140	13,140	33,280	731,500	281,700	1,013,200	107,400	285,400	214,800	500,200	1,037,040	617,040	1,654,080
8	Bikaner	10,000	9,680	19,680	354,500	217,200	571,700	82,800	138,200	165,600	303,800	502,700	475,280	977,980
9	Bundi	8,160	6,140	14,300	295,100	134,800	429,900	51,400	116,000	102,800	218,800	419,260	295,140	714,400
10	Chittaurgarh	14,220	9,960	24,180	495,800	203,600	699,400	77,600	194,000	155,200	349,200	704,020	446,360	1,150,380
11	Churu	11,320	11,040	22,360	409,100	253,000	662,100	96,400	159,800	192,800	352,600	580,220	553,240	1,133,460
12	Dausa	9,920	8,120	18,040	359,600	181,400	541,000	69,200	141,200	138,400	279,600	510,720	397,120	907,840
13	Dhaulpur	6,680	6,560	13,160	230,900	145,900	376,800	55,600	88,400	111,200	199,600	325,900	319,260	645,160
14	Dungarpur	10,520	9,340	19,860	351,300	192,500	543,800	73,400	135,600	146,800	282,400	497,420	422,040	919,460
15	Ganganagar	12,960	11,060	24,020	460,200	242,900	703,100	92,600	180,000	185,200	365,200	653,160	531,760	1,184,920
16	Hanumangarh	9,280	8,260	17,540	324,800	179,900	504,700	68,600	126,800	137,200	264,000	460,880	393,960	854,840
17	Jaipur	25,600	21,220	46,820	899,000	457,100	1,356,100	174,200	346,400	348,400	694,800	1,271,000	1,000,920	2,271,920
18	Jaisalmer	5,840	4,220	10,060	215,900	95,000	310,900	36,200	84,800	72,400	157,200	306,540	207,820	514,360
19	Jalore	11,740	9,000	20,740	418,200	194,000	612,200	74,000	163,800	148,000	311,800	593,740	425,000	1,018,740
20	Jhalawar	13,140	7,820	20,960	476,000	163,000	639,000	62,200	187,400	124,400	311,800	676,540	357,420	1,033,960
21	Jhunjhunu	11,680	11,320	23,000	415,800	255,000	670,800	97,200	163,200	194,400	357,600	590,680	557,920	1,148,600
22	Jodhpur	19,260	16,500	35,760	654,200	343,700	997,900	131,000	254,600	262,000	516,600	928,060	753,200	1,681,260
23	Karauli	8,660	7,280	15,940	307,700	159,500	467,200	60,800	117,800	121,600	239,400	434,160	349,180	783,340
24	Kota	8,780	7,280	16,060	312,500	159,500	472,000	60,800	122,600	121,600	244,200	443,880	349,180	793,060
25	Nagaur	20,360	17,000	37,360	724,300	372,700	1,097,000	142,000	282,400	284,000	566,400	1,027,060	815,700	1,842,760
26	Pali	15,700	11,480	27,180	565,100	248,700	813,800	94,800	217,400	189,600	407,000	798,200	544,580	1,342,780
27	Pratapgarh	7,000	5,040	12,040	247,500	105,800	353,300	40,400	95,400	80,800	176,200	349,900	232,040	581,940
28	Rajsamand	12,040	7,100	19,140	438,800	149,400	588,200	57,000	171,200	114,000	285,200	622,040	327,500	949,540
29	S. Madhopur	7,080	6,760	13,840	242,400	145,900	388,300	55,600	94,800	111,200	206,000	344,280	319,460	663,740
30	Sikar	15,140	13,100	28,240	550,100	296,600	846,700	113,000	212,600	226,000	438,600	777,840	648,700	1,426,540
31	Sirohi	5,400	5,440	10,840	181,400	116,400	297,800	44,400	70,400	88,800	159,200	257,200	255,640	512,240
32	Tonk	10,740	7,500	18,240	393,300	165,300	558,600	63,000	153,000	126,000	279,000	557,040	361,800	918,840
33	Udaipur	18,860	17,620	36,480	637,600	373,200	1,010,800	142,200	250,600	284,400	535,000	907,060	817,420	1,724,480
	Total	428,180	345,740	773,920	15,166,600	7,485,100	22,651,700	2,853,400	5,899,000	5,706,800	11,605,800	21,493,780	16,391,040	37,884,820

www.rajteachers.com

बालिका शिक्षा, दिशा–निर्देश 2018–19 हेतु संलग्नक

संलग्नक–1
मीना मंच

पूर्व अनुभव –

सत्र 2011–12 से मीना मंच पूर्व में राज्य के 9206 नोड़ल विद्यालयों और 200 केजीबीवी में संचालित हुआ है। जिसके सफल परिणामों की एक झलक को राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2014 को भी देखने को मिली। साथ ही कुछ चयनित विद्यालयों में हुए एक संक्षिप्त अध्ययन ने भी मीना मंच का बालिकाओं पर सकारात्मक प्रभावों पर को पुष्ट किया है। मीना मंच ने बालिकाओं को अपनी बात अभिव्यक्त करने हेतु एक मंच दिया है। इससे जो प्रभाव देखने को मिले हैं, उसमें से मुख्य हैं –

- शिक्षकों से सवाल करने और अपनी बात में झिझक दूर हुई है।
- भाषायी कौशल में सुधार आया है।
- पढ़ने में रूचि बढ़ी है और पुस्तकालय का भी प्रयोग बढ़ा है।
- उपस्थिति में नियमितता आयी है और मीना मंच की बालिकाएं सैकण्ड़री शिक्षा जारी रखी है।
- समुदाय में बाल–विवाह, मादक–द्रव्यों के कुप्रभावों, स्वच्छता, आदि पर जागरूकता लाने हेतु मीना मंच की बालिकाएं सक्रिय रही हैं।
- व्यक्तिगत स्तर पर भी आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा है, सामाजिक एवं विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है।

पूर्व अनुभवों के आधार पर सत्र 2016–17 में राज्य के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों (केजीबीवी सहित) एवं फेज–1 के आर्दश विद्यालयों (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) में मीना मंच का विस्तार किया गया। सत्र 2017–18 में फेज–2 के आर्दश विद्यालयों में भी मीना मंच का विस्तार कि या जा रहा है।

मीना मंच की संकल्पना एवं उद्देश्य–

मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने के अवसर देता है। यह बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ने, नियमित विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभावों के प्रति सजग रहने में प्रोत्साहित करता है। परोक्ष रूप से बालिकाओं में आत्मविश्वास का विकास, समस्याओं के समाधान ढूढ़ने का कौशल एवं नेत्तृव क्षमता जैसे मूलभूत जीवन कौशल का विकास करने का अवसर देता है।

उद्देश्य – बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए विद्यालयों में यथोचित एवं विशेष अवसर देना जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़े, जीवन कौशल का विकास हो, नेत्तृव क्षमता बढ़े और वे समाजिक मसलों पर अपने स्वयं के विचार रख सकें, और सबसे अधिक कि वे निर्बाध रूप से अपनी विद्यालयी शिक्षा पूरी कर सकें। मीना मंच के स्पष्ट उद्देश्य हैं –

1. समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनका ठहराव बनाये रखना। बालिकाओं को सीखने, पढ़ने–लिखने एवं सह–शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु अधिकतम अवसर/सामूहिक सहयोग देना।
2. बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना एवं आपसी सहयोग से समाधान करना।
3. जेण्डर भेदभाव एवं सामाजिक कुरीतियों पर समझ विकसित करना और बालिकाओं को इन मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु एक मंच प्रदान करना।
4. आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल का विकास करने के अवसर निश्चित रूप से उपलब्ध कराना । बालिकाओं में नेतृत्व तथा सहयोग की भावना विकसित करना। साथ ही किशोरावस्था संबंधी जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति एवं समाधान हेतु मंच देना।

www.rajteachers.com

5. बालिका शिक्षा एवं विकास के लिए समुदाय को जागरूक करना। सामुदायिक स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पर जानकारी एवं जागरूकता फैलाना।

विद्यालयों में मीना मंच का गठन–

मीना कौन है?

बालिकाओं के मुद्दों को सरल एवं सहज रूप से समझने के लिए मीना नाम की लड़की का एक काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग एवं समाज की बालिकाएं स्वयं का इससे जुड़ाव महसूस कर सकती है। मीना एक उत्साही और विचारवान किशोरी है जिसमें उमंग, उल्लास, सहानुभूति और सहायता का भाव है। वह समस्याओं और सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखती है और समस्या समाधान हेतु किसी से बातचीत करने में हिचकिचाती नहीं है।

मीना की कहानियों में संदेश

मीना अपने माता–पिता, दादी, भाई राजू और बहिन रानी के साथ रहती है। मिट्ठू तोता उसका सबसे प्यारा दोस्त है। मीना की कहानियाँ बच्चों के जीवन के चारों तरफ घूमती हैं। मीना की कहानियाँ बच्चों को बचपन से ही लड़की–लड़के की भूमिकाओं के बीच स्वस्थ और बेहतर संबंधों का रूप दिखाती हैं। मीना कहानियाँ किसी को उपेदश नहीं देतीं। इनका उदेद्श्य जागरूकता बढाना और **संवाद शुरू करने के अवसर प्रदान** करना है।

मीना मंच का गठन कैसे हो?

मीना मंच में विद्यालयकी समस्त बालिकाएं एवं बालक सदस्य होंगे। अतः मीना मंच द्वारा आयोजित की जाने वाली चर्चाओं और गतिविधियों में समस्त बच्चे मंच के नेतृत्व में प्रतिभाग करेंगे। विद्यालय की किसी एक महिला शिक्षिका को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी, जो कि सुगमकर्ता कहलायेगी। सुगमकर्ता मीना मंच की गतिविधियों का संचालन स्वयं नहीं करेगी बल्कि बालिकाओं को मार्गदर्शन देगी जिससे बालिकाएं स्वयं के स्तर पर गतिविधियों का संचालन कर सकें। महिला अध्यापिका की अनुपस्थिति में ही पुरूष अध्यापक को सुगमकर्ता का भार सौंपा जा सकेगा। किन्तु पुरूष सुगमकर्ता होने की स्थिति में, प्रत्येक दो माह में आवश्यक रूप से किसी अध्यापिका/महिला अधिकारी/महिला कार्यकर्ता की विजिट श्वद्यालयमें करानी होगी जिससे कि बालिकाएं विशेष मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। ***विद्यालय में मीना मंच बनाये जाने के बाद यह स्थायी मंच रहेगा जिसका संचालन प्रत्येक वर्ष होगा और संचालन की प्रक्रिया भी निर्देशानुसार यथावत रहेगी।***

मीना मंच द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को करवाने का कार्य बालिकाओं का एक छोटा समूह करेगा जो कि **मीना मंच समिति** कहलाएगा । **मीना मंच समिति** में विद्यालय में अध्ययनरत सक्रिय किशोरियों को सदस्य बनने हेतु प्रेरित किया जायेगा, जो अन्य बालिकाओं को लिए किसी न किसी रूप से सहायता कर रही हों यथा –

- बहुत दूरी से विद्यालय पहुँचने वाली बालिका,
- नियमित विद्यालय में आने वाली बालिका,
- पढ़ाई के लिए घर वालों को समझा–बुझाकर विद्यालय आने वाली बालिका,
- अपनी सहेली को प्रेरित कर विद्यालय लाने उत्कृष्ट शिक्षा परिणाम वाली, गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बालिका,
- विभिन्न गतिविधियों मे हिस्सा लेने वाली बालिका, आदि।

मीना मंच समिति में निम्नानुसार 20 बालिका और 6 बालक सदस्य होंगे :–

कक्षा	बालिका सदस्य	बालक सदस्य
कक्षा 8	5 बालिकाएं	2 बालक
कक्षा 7	5 बालिकाएं	2 बालक

www.rajteachers.com

कक्षा 6	5 बालिकाएं	2 बालक
कक्षा 5	3 बालिकाएं	–
कक्षा 4	2 बालिकाएं	–
कुल	**20 बालिकाएं**	**6 बालक**

नोट 1– यथासंभव मीना मंच समिति के सदस्य विद्यालय की अन्य समितियों के सदस्य भी हों ताकि समितियों के कार्यों में आपसी सहयोग एवं समन्वय बना रहे।
नोट 2– यदि विद्यालय में 20 से कम बालिकाएं भी हैं तो विद्यालय की समस्त बालिकाओं और 6 बालकों को सम्मिलित कर मीना मंच का गठन किया जाये।

मीना मंच समिति के सदस्यों का चुनाव

उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा से 5 बालिकाओं और 2 बालकों का चयन किया जायेगा। इन चयनित सदस्यों में से प्रत्येक कक्षा में एक प्रेरक (बालिका) और दो सह–प्रेरक (एक बालिका और एक बालक) का चुनाव किया जायेगा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 और कक्षा 4 से क्रमशः 3 और 2 बालिकाएं मीना मंच की सदस्या होगी और प्राथमिक कक्षाओं में नेतृत्व करेंगी। ये सभी प्रत्येक कक्षा हेतु प्रेरक का रोल निर्वाह करेंगी।

मीना समिति के सदस्यों का चुनाव कक्षाध्यापक द्वारा कक्षा में ही बच्चों सहमति लेते हुए किया जा सकेगा। प्रेरक एवं सह–प्रेरक का चुनाव प्रत्येक वर्ष होगा। समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा। मीना मंच समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्याक्ष का चयन चयनित प्रेरक एवं सह–प्रेरक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं में से जायेगा जो कि **आवश्यक रूप से बालिका ही होगी।**

- प्रेरक – प्रत्येक कक्षा से समस्त बच्चों द्वारा चयनित एक बालिका।
- सह–प्रेरक – प्रत्येक कक्षा से समस्त बच्चों द्वारा एक बालिका और एक बालक।
- अध्यक्ष – समस्त प्रेरक एवं सह–प्रेरक द्वारा उ0प्रा0विद्यालय से चयनित कोई एक सक्रिय बालिका।
- उपाध्यक्ष– समस्त प्रेरक एवं सह–प्रेरक द्वारा उ0प्रा0विद्यालय से चयनित कोई एक सक्रिय बालिका।

मीना (मंच) समिति – पद एवं कार्यदायित्व

मीना मंच समिति, मीना मंच के संचालन हेतु कार्यों का विभाजन करेगी जिससे कि सभी बालिकाओं को प्रतिनिधित्व करने और प्रतिभाग करने का समान अवसर प्राप्त हो।

प्रेरक के कार्य	• कक्षा के समस्त बच्चों के साथ मीना मंच की कार्ययोजना अनुसार कार्य करना, चर्चाएं आयोजित करना। आवश्यकताओं को समिति में रखना। • सह–प्रेरक को दायित्व सौंपना और समन्वय बनाकर बालिकाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़े रखना। • उपस्थिति चार्ट बनाना और अनियमित बालिका एवं बालक से सम्पर्क करना और कक्षाध्यापक को सचेत करना। • लाइब्रेरी की किताबों को कक्षा में लाकर सभी को बारी–बारी वाचन कराना।
मीना मंच अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य	• समय–समय पर मंच की बैठकें आयोजित करना, बैठकों का संचालन करना। • बैठकों के मुद्दे तय करना तथा कार्य योजना का प्रस्ताव देकर जिम्मेदारी बाँटना। • समिति अपनी पहली बैठक में आगामी तीन माह की कार्य योजना बनाएगा तथा रणनीति तय करना। • पहली बैठक में आगामी कार्यक्रमों तथा बैठकों की तिथि निर्धारित कर सभी को सूचित कर देना चाहिए। • गाँव की ड्रॉप आउट बालिकाओं एवं अनियमित आने वाली बालिकाओं की संपूर्ण जानकारी बैठकों में रखना। • बालिकाओं को विद्यालय लाने /नियमित उपस्थिति बनाने हेतु सभी की सहभागिता से रणनीति तय करना। • समय–समय पर बैठकों और चर्चाओं के अतिरिक्त विद्यालय एवं समुदाय में विभिन्न गतिविधियां/कार्यक्रम आयोजित करने हेतु योजना बनाना और जिम्मेदारी तय करना।

www.rajteachers.com

	▪ सभी बैठकों/आयोजनों की लिखित रिपोर्ट तैयार करना जिसमें परिणाम (Out Come) का उल्लेख हो। यह कार्य बालिकाओं की मदद से सुगमकर्ता करेगी।

मीना मंच के कार्य एवं गतिविधियां--

विद्यालय में मीना मंच के गठन के बाद, निहित उद्देश्यों के साथ यह मंच लगातार सक्रिय रहे, इस हेतु बालिकाओं के नेतृत्व में विद्यालयस्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी और सुगमकर्ता का दायित्व होगा कि वे बालिकाओं को, प्रस्तावित गतिविधियां आयोजित करने में सहयोग एवं मार्गदर्शन देकर बालिकाओं को प्रोत्साहित करें और आत्मविश्वास बढ़ायें। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मीना मंच, सुगमकर्ता और मीना मंच समिति के मार्गदर्शन निम्नलिखित कार्य/गतिविधियों का संचालन करेगी।

गतिविधियां	क्या और कैसे करे	माह
	विद्यालयस्तरीय	
प्रवेशोत्सव आयोजित करना	मीना मंच समिति द्वारा 19 जून से 30 जून में अपने–अपने मौहल्लों में शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में रैली निकालना, बैठक करना, पोस्टर बनाना व चिपकाना, आउटऑफ विद्यालय बालिकाओं हेतु घर–घर जाना, नवनामांकित बालिकाओं का प्रवेश के प्रथम दिन तिलक कर स्वागत करना, आदि।	जून
उपस्थिति चार्ट बनाना	प्रत्येक माह प्रत्येक कक्ष में प्रेरक एवं सह–प्रेरक द्वारा चार्ट पर सभी बच्चों के नाम के सामने मासिक उपस्थिति को दर्शायी जायेगी। माह के अंतिम कार्य दिवस पर, उस माह में 20 दिन या उससे अधिक दिन विद्यालय आने वाले बच्चों को "हरा स्टार" दें। 15 से 19 दिन विद्यालय आने वाले बच्चों को "पीला स्टार" दें। कक्षाध्यापक "हरा एवं पीला स्टार" पाने वाले बच्चों के लिए कक्षा/प्रार्थनासभा में तालियां बजवाये। महत्वपूर्ण है कि लगातार अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने हेतु अभिभावकों से संपर्क कर अध्यापक/मीना मंच के सदस्य प्रेरित करें। उपस्थिति चार्ट का प्रारूप संलग्न है (संलग्नक–3)।	प्रत्येक माह
मीना वाचनालय का संचालन	सभी विद्यालयों में वाचनालय कक्ष बनाया जाए, जो कि पुस्तकालय का हिस्सा होगा। स्थान के आभाव में किसी कोने अथवा रैक में स्थापित किया जा सकता है। इसमें मीना किट में उपलब्ध कहानियों की पुस्तकें तथा विद्यालय में उपलब्ध अन्य पुस्तकों रखी जायें। वाचनालय का संचालन पूर्णतः मीना मंच के पास होगा। यह उन्हें एक समूह के रूप में निरंतर कार्य करने का अवसर देगा। वाचनालय के उपयोग हेतु नियम व प्रक्रिया (समय और दिन) का निर्धारण सुगमकर्ता शिक्षिका की सलाह से मीना मंच के सदस्य करें। वाचनालय का उपयोग पुस्तकों पढ़ने हेतु किया जाये। यह गतिविधि बच्चों में पढ़ने की आदत के विकास हेतु है अतः विद्यालय की समय सारिणी में वाचनालय हेतु सप्ताह में कोई दो दिन कालांश निर्धारित किया जाये। ताकि बालिकायें वाचनालय कक्ष में बैठकर कहानियां पढ़ सकें। शिक्षक इन कहानियों एवं उनपर होने वाली चर्चाओं को शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा भी बना सकते हैं। वाचनालय की पुस्तकों की सूचना एवं पुस्तक पढ़ने वाली बालिकाओं का विवरण संधारित किया जाए। (संलग्नक–4 व 5)।	सत्र पर्यन्त

www.rajteachers.com

	रोटेशन पर मीना मंच समिति द्वारा नामित 6 सदस्य समिति – प्रति–तिमाही हेतु दो सदस्य समिति को दायित्व।	
समूह में चर्चा	मीना मंच समिति के सदस्य मीना कहानियां का पठन समूह में (कक्षा में प्रतिमाह) करेंगे। कहानी पठन से पूर्व सुनाने वाली बालिका मीना समिति के सदस्यों के साथ कहानी सुनाने का अभ्यास करें तथा कहानी से संबंधित प्रश्नों को समझ लें। एक कहानी सुनाने के लिए कम से कम 3–5 बालिकाएं तैयारी करें। कहानी सुनाने के लिए बालिकाओं का चयन रोटेशन के आधार पर किया जाए जिससे सभी बालिकाओं को पढ़ कर सुनाने का अवसर मिले। समूह में चर्चा मीना मंच की सदस्य बालिकाएं स्वतन्त्र रूप से करें इसमें शुरूआती कहानियों पर चर्चा के समय सुगमकर्ता सहयोग कर सकती है किन्तु एक–दो कहानियों के उपरान्त बालिकाओं को स्वयं कहानी का चयन तथा अन्य तैयारी हेतु प्रेरित किया जाये। कहानियों को सुनाने तथा उन पर चर्चा करने संबंधी विस्तृत निर्देश किट में उपलब्ध शिक्षक संदर्शिका में दिये गये है। कहानियों पर होने वाली चर्चाओं एवं बालिकाओं द्वारा तैयार लिखित सामग्री को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए। बालिकाओं की मौखिक अभिव्यक्ति को उनके आकलन में एक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।	मासिक
कला जत्था/ नुक्कड़ नाटक	मीना की कहानियों में बालिकाएं नाटक तैयार करें, उसकी स्क्रिप्ट लिखें, और नाटक प्रस्तुत करें। मीना की कहानियों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सत्र में ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक पीटीएम/एसएमसी बैठक में किये जायें। इसके अतिरिक्त समुदाय में जाकर भी ऐसी प्रस्तुतियां साल में दो बार की जा सकेंगी।	त्रैमासिक 24 सितम्बर मीना दिवस
कहानी वाचन व लेखन	मीना मंच अपने प्रेरकों के माध्यम से प्रत्येक बाल–सभा के दिन कहानी वाचन और लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगी जिसमें बालक–बालिकाएं स्वयं कहानियां बनायेगें और लाईब्रेरी की पुस्तकों से कहानियों का वाचन करवायेंगी।,	प्रतिमाह
वॉल पत्रिका बनाना	मीना मंच की प्रेरक अपनी कक्षाओं का एक मासिक वॉल (भित्ती) पत्रिका बनायेगी। जिसमें सभी बालिकाएं अपने अनुभवों को लिखेंगी और वह पूरे माह कक्षा में लगा रहेगा। उक्त मासिक वॉल पत्रिका के अलावा मीना मंच अपना समाचार पत्र भी बनायेगी। विद्यालय में होने वाली सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों पर बालक एवं बालिकाओं दोनो के अनुभवो को एकत्रित कर मीना समाचार पत्र तैयार किया जायेगा। हर गतिविधि के साथ मीना मंच के सदस्य उससे संबंधित दस्तावेज इकट्ठे करेंगे तथा माह फरवरी में इसको समेकित करके मीना समाचार पत्र बनायेंगे।	प्रतिमाह फरवरी
विद्यालयी प्रतियोगिताएं	मीना मंच विद्यालय के अन्य मंचों से समन्वय कर विभिन्न गतिविधियों के संचालन का नेतृत्व करेंगी जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं, प्रार्थना सभा एवं बाल सभा का संचालन। मीना मंच अनियमित आने वाले बच्चों/बालिकाओं के लिए विशेष खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करेगी। 24 सितम्बर को मीना दिवस व 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जायेगा।	(वर्ष में दो बार) 24 सितम्बर व 24 जनवरी
शैक्षणिक प्रतियोगिताएं	मीना मंच सत्र में दो बार बालिकाओं हेतु (कक्षा स्तर पर, विद्यालयस्तर पर) छोटी प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगी।	(वर्ष में दो बार)

www.rajteachers.com

	प्रतियोगिताएं भाषा, व्यावहारिक विज्ञान, गणित पर की जायेंगी।	
वार्ताएं	सुगमकर्ता समुदाय से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं व पुरूषों को बच्चों से चर्चा करने हेतु आमंत्रित करेगी। और पूरे विद्यालय के साथ अथवा समूह में चर्चा करवायेंगी।	त्रैमासिक
शैक्षक भ्रमण	बालिकाओं के व्यवहारिक ज्ञान को सवंर्द्धित करने के उद्देश्य से बालिकाओं को महिला सुगमकर्ता आसपास के बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, सैकण्डरी विद्यालय, ग्राम पंचायत, ऑफिस, एनजीओ आदि का भ्रमण करवायेंगी ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। यह गतिविधि पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है।	(वर्ष में दो बार)
मीना दिवस	मीना मंच की सदस्य 24 सितम्बर को विद्यालय में मीना दिवस का आयोजन करेंगे। मीना के पात्र की संकल्पना 24 सितम्बर को ही मूर्त रूप में आई थी। मीना दिवस को ब्लॉक स्तरीय मीना सम्मेलन के रूप में मनाया जायेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सृजनशीलता, बौद्धिक क्षमता, लेखन एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना है।	वार्षिक
अपने काम का लेखा–जोखा	मीना मंच प्रेरक, मंच की प्रत्येक गतिविधि के उपरान्त सुगमकर्ता के सहयोग से कार्यवाही विवरण तैयार करेंगे। समस्त गतिविधियों का विवरण एक ही रजिस्टर में संधारित किया जाये। गतिविधियों को विस्तार से ना लिख कर बिंदुवार ही लिखना है। समस्त गतिविधियों के आयोजन उपरान्त सत्रांत में मंच के सभी सदस्य मिलकर रजिस्टर में दर्ज किये गये कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसी समीक्षा बैठक में दिये गये मूल्यांकन प्रपत्र एक व दो के आधार पर सभी मंच स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। (मूल्यांकन प्रपत्र–संलग्न 6)	वार्षिक
	समुदाय स्तरीय	
अभिभावक दिवस	मीना मंच अध्यापिकाओं के साथ मिलकर पीटीए बैठक को सार्थक बनायेंगे। इसकी पूर्व तैयारी के तौर पर अनियमित बालिकाओं की सूची तैयार करेगें। बालिकाओं के सीखने में प्रगति को अभिभावकों के समझ सरल तरीके से रखने हेतु पोर्टफालियो तैयार करने में अध्यापिकाओं की मदद करेगें। अभिभावक विद्यालय आयें इस हेतु अन्य बच्चों की मदद से आमंत्रण/निमंत्रण पत्र तैयार करना और उसे व्यक्तिगत पहुँचाने का कार्य हेतु पहल करेगा।	त्रैमासिक
दादी–नानी दिवस	मीना मंच के सदस्य विद्यालय में दादी, नानी दिवस आयोजित करेंगे ताकि समाज की वरिष्ठ महिलाओं (जो कि बालिकाओं की दादी–नानी है) के ज्ञान एवं समझका उपयोग बच्चों की नियमित उपस्थिति, शिक्षा की अनिवार्यता एवं महत्व को जन–जन तक पहुँचाने के लिए किया जा सके। इसमें दादी–नानी शिक्षा के महत्व से संबंधित लोकगीत एवं कहानियां मीना मंच के सदस्यों को सुना सकती है।	जनवरी 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस
किस्सागोई	समुदाय में कई लोग होते हैं जो सार्थक, प्रेरणास्पद किस्सों,कहानियों, बातों को सुनाने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों को किस्सागोई या कहानी कहने, बात कहने के लिए आंमत्रित करें जिसमें बच्चे एवं अभिभावक दोनो भाग लें।	(वर्ष में दो बार)
मौहल्ला बैठकें	मीना मंच के सदस्यों के समूह अपने–अपने क्षेत्रों में सुगमकर्ता के निर्देशन में मौहल्ला बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों में माता–पिता के साथ अनामांकित बच्चों एवं उन बच्चों को भी शामिल किया जायेगा, जिनके विद्यालय छोड़ने की आशंका हो। ये मौहल्ला बैठके प्रवेश के समय से एक माह पहले तथा उस समय से एक माह पहले जब आमतौर	सितम्बर जनवरी

www.rajteachers.com

	पर बच्चों की उपस्थिति अनियमित होने लगती है आयोजित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए फसल की कटाई के समय या त्यौहारो के समय। ये बैठके वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी– अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात।	
बड़ी बैठकें	मीना मंच के सदस्य बड़ी मौहल्ला बैठके सुगमकर्ता के साथ आयोजित करेंगे। इन बैठकों में गांव/बस्ती के सभी माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी, जनप्रतिनिधियों एवं बच्चों को बुलाकर ऐसे लोगों को भी इस बैठक में शामिल किया जा सकता है जो शिक्षा के महत्व को जन–जन तक पहुंचाने में मदद कर सकते हों। इस अवसर पर सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि सितम्बर एवं नवम्बर माह में फसल कटाई के कारण अधिकाशं बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। अतः इन बैठकों का आयोजन विशेष रूप से उसी समय किया जाये।	सितम्बर नवम्बर

www.rajteachers.com

संलग्नक–2
गार्गी मंच

राज्य में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाएं विभिन्न कारणों से प्रायः माध्यमिक स्तरीय शिक्षा से नहीं जुड़ पाती है। इससे माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का एक हिस्सा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित हो जाता है। ग्रामीण परिक्षेत्र में जैसे ही बालिका का स्कूल से साथ छूटता है, वहीं उसके विवाह होने की संभावनाएं अधिकाधिक हो जाती हैं जो अन्य सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक चुनौतियों को जन्म देती है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक, किशोर–किशोरियाँ, पंचायत प्रतिनिधि, अभिभावक एवं समुदाय एक साथ बालिकाओं के नामांकन और ठहराव पर सकारात्मक प्रयास करें, विशेषकर उनकी विद्यालय तक पहुँच को सुरक्षित व सुगम बनाने और विद्यालय वातावरण सहज एवं संवेदनशील बनाने में अहम भूमिका अदा करें।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना होगा –

1. विद्यालय परिक्षेत्र की कक्षा 8 उर्त्तीण समस्त छात्राएं का कक्षा 9 में शतप्रतिशत दाखिला करना।
2. कक्षा 9 से 12 में कम से कम 90 प्रतिशत बालिकाओं की सत्रपर्यन्त ≥75 प्रतिशत उपस्थिति हो।
3. विद्यालय को बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु सुविधाओं एवं नियमों की अनुपालना।
4. विद्यालय में बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देना एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
5. कक्षा 9 में नामांकित समस्त बालिकाओं की 4 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा शिक्षा पूरी करना।
6. परिक्षेत्र की ड्रॉप आउट बालिकाओं को शारदे बालिका छात्रावास से जोड़ना।

समस्त विद्यालय उक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर पायें, इस हेतु बालिकाओं के साथ संवाद और उनकी सहभागिता अत्यावश्यक है। इसी आवश्यकता को पूरी करने और बालिका शिक्षा को **पीयर–सपोर्ट** के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए **गार्गी मंच का गठन किया जाये**। सभी विद्यालय, कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं और बालकों को नियमानुसार जोड़कर, गार्गी मंच का गठन कर इसका संचालन करेंगे और बालिका शिक्षा संबंधी गतिवधियों में गार्गी मंच को सम्मिलित करेगें। **गार्गी मंच स्थायी मंच होगा जो प्रत्येक वर्ष पुनर्गठित** किया जायेगा। बाल अधिकार एवं बालिका शिक्षा हेतु वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मंच को सक्रिय रखा जाये। गार्गी मंच की सक्रियता की जिम्मेदारी संस्थाप्रधान एवं समस्त शिक्षकों पर संयुक्त रूप से होगी।

1. गार्गी मंच का गठन एवं संचालन

गार्गी कौन है?

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच सक्रिय है जिसे मीना के चरित्र एवं व्यवहार से जोड़ा गया है। मीना युनिसेफ द्वारा विकसित स्थानीय लड़की का एक काल्पनिक चित्र है जो होशियार एवं हाजिरजवाब बालिका है और वह हर प्राकर की समस्याओं और सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखती है।

माध्यमिक स्तर पर गार्गी वह बालिका है जो मीना की भांति अपनी शिक्षा एवं सहपाठियों की स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रयासशील है। वह समस्या समाधान हेतु तत्पर रहती है एवं किसी से बातचीत करने और सहायता मांगने में हिचकिचाती नहीं है परिवार की कुप्रथाओं, अन्धविश्वास एवं सामाजिक बुराईयों का विरोध करती है एवं "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" की अवधारणा तथा एक नारी की शिक्षा को एक परिवार की शिक्षा मानती है तथा स्कूल, परिवार एवं समाज में अपना गरिमापूर्ण स्थान बनाने हेतु प्रयासरत है।

गार्गी मंच का उद्देश्य

www.rajteachers.com

गार्गी मंच बालिकाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी समझ से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, अपनी विद्यालय में सहभागिता सुनिश्चित करना एवं समग्र रूप से जीवन कौशल का विकास करने का माध्यम है। इस सत्र में गार्गी मंच बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु सक्रिय रहेगा जिससे बालिकाएं अपनी प्रारंभिक शिक्षा पश्चात चार साल की माध्यमिक शिक्षा को पूरी करें और आगे आत्मनिर्भर बन सकें। इस हेतु बालिकाएं–

- नामांकन एवं ठहराव को कुप्रभावित करने वाले सामाजिक एवं जेण्डर पूर्वाग्रहों पर चर्चा करेंगी।
- विद्यालय वातावरण को बालिकाओं हेतु सुरक्षित बनाना हेतु खुली चर्चा करेंगी।
- संस्थाप्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरों पर अपने मंच के माध्यम से अपने एवं अपने सहपाठियों के मत/विचारों को अभिव्यक्त कर पायेंगी।
- माध्यमिक शिक्षा पूरी करने, उच्च शिक्षा जारी रखने और विकास के विकल्पों पर चर्चा करेगी।
- समाज में नारी की प्रमुख भूमिका के संदर्भ में समझ विकसित करना।

गार्गी मंच का गठन

समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच गठन निम्नानुसार किया जायेगा–

1. **गार्गी मंच 23 सदस्यों का एक समूह होगा** जो कि मंच की गतिविधियों का संचालन करेगा। उक्त 23 सदस्यों में से 15 सदस्य बालिकाएं होंगी और 8 सदस्य बालक होंगे।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच के लिए कक्षा 8 से 12 की प्रत्येक कक्षा की तीन छात्राएं, कुल 15 बालिकाएं चयन की जावेगी। जो कि प्रत्येक कक्षा हेतु ***शाला–सखी*** कहलायेंगी। शेष 8 छात्र सदस्य कक्षा 9 से 12 में प्रत्येक कक्षा से 2–2 होंगे जो कि गार्गी मंच के ***शाला–सखा*** के रूप में जाने जायेंगे। इन सदस्यों (***शाला–सखी व शाला–सखा***) का चयन कक्षा के समस्त छात्र–छात्राओं द्वारा किया जायेगा। कक्षा में समन्वयन, निर्णय लेने एवं कार्यों के निर्वहन हेतु इनमें से प्रत्येक सदस्य दो माह हेतु समन्वयक का कार्य करेगा।

नोट – चूंकि गार्गी मंच बालिकाओं को विचार अभिव्यक्त करने और समस्याओं का सामूहिक समाधान ढूढने के अवसर प्रदान करना है, अतः सैद्धान्तिक रूप से विद्यालय की समस्त छात्राएं इसकी सदस्य होंगी और मंच की समस्त गतिविधियों में सम्मिलित की जायेंगी।

कक्षा 8	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
• 3 छात्रा शाला सखी	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा

माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच के लिए कक्षा 8 से 10 की प्रत्येक कक्षा की पांच छात्राएं, कुल 15 बालिकाएं चयन की जावेगी। जो कि प्रत्येक कक्षा हेतु ***शाला–सखी*** कहलायेंगी। शेष 8 छात्र सदस्य कक्षा 9 से 10 में प्रत्येक कक्षा से 4–4 होंगे जो कि गार्गी मंच के ***शाला–सखा*** के रूप में जाने जायेंगे। इन सदस्यों (***शाला–सखी व शाला–सखा***) का चयन कक्षा के समस्त छात्र–छात्राओं द्वारा किया जायेगा। कक्षा में समन्वयन, निर्णय लेने एवं कार्यों के निर्वहन हेतु इनमें से प्रत्येक सदस्य दो माह हेतु समन्वयक का कार्य करेगा।

कक्षा 8	कक्षा 9	कक्षा 10
• 5 छात्राएं शाला सखी	• 5 छात्राएं शाला सखी • 4 छात्र शाला सखा	• 5 छात्राएं शाला सखी • 4 छात्र शाला सखा

www.rajteachers.com

3. उक्त 23 सदस्यीय गार्गी मंच का स्कूल में नेतृत्व करने हेतु अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। चुनाव का माध्यम इसलिए चुना गया है जिससे बच्चों में लोकतन्त्र एवं इसके मूल्यों की भी समझ बढ़े। ध्यान दें कि **गार्गी मंच का अध्यक्ष छात्रा ही होगी।** जबकि उपाध्यक्ष छात्र अथवा छात्रा में से कोई भी हो सकेगा।
4. उक्त 23 सदस्यी गार्गी मंच में कक्षा 8 की छात्रा इस उद्देश्य से रखी गयी है कि कक्षा 8 के बाद संभावित ड्रॉपआउट को रोकने हेतु कक्षा 8 की बालिकाओं को संवाद में शामिल किया जा सके।
5. गार्गी मंच में उक्त प्रस्तावित 23 सदस्यों के अतिरिक्त विद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 8 से 2–2 बालिकायें भी गार्गी मंच की नामित सदस्य होंगी जो कि मंच के कार्यक्रमों में सहभागी होंगी तथा अपने विद्यालय में गार्गी मंच का प्रतिनिधित्व करेगी और बालिकाओं के ट्रांजिशन पर सहयोग करेगी। ये बालिकाएं **शाला सहेली** के नाम से जानी जायेगी। गार्गी मंच की बैठकों तथा गतिविधियों में सहभागिता करने हेतु शाला सहेली अपने विद्यालय की महिला शिक्षिका (सुगमकर्ता) के साथ जायेगी।
6. गार्गी मंच के 23 सदस्यों के अतिरिक्त विद्यालय परिक्षेत्र से किशोर वयवर्ग की किसी दो ड्रॉपआउट बालिका को **आमंत्रित सदस्य** के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। इस हेतु सुगमकर्ता एवं गार्गी मंच संयुक्त रूप से चर्चा कर निर्णय लेंगे। साथ ही यह भी निर्भर करेगा कि विद्यालय परिक्षेत्र में आउट ऑफ स्कूल बालिकाएं कितनी हैं और नामांकन में जेण्डर गैप कितना है।
7. गार्गी मंच के सदस्यों के चयन में प्रारम्भ में उन बालिकाओं को प्राथमिकता दें जो पूर्व में उ0प्रा0 विद्यालयों में मीना मंच से जुड़ी रहीं अथवा वे बालिकाएं जो की सक्रिय हैं और विद्यालय के अन्य बालिकाओं/समुदाय से चर्चा करने एवं अभिव्यक्त करने में पहल करती हों।
8. गांव में महिला पंचायत प्रतिनिधि/पंच को भी गार्गी मंच से जोडे जाने का प्रयास करें
9. गार्गी मंच के संचालन हेतु विद्यालय की एक **महिला अध्यापिका** गार्गी मंच के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी जो कि **सुगमकर्ता कहलायेगी।** विद्यालय में महिला अध्यापिका की अनुपलब्धता होने की अवस्था में ही पुरूष अध्यापक को सुगमकर्ता का दायित्व दिया जा सकेगा।

सुगमकर्ता एवं संस्थाप्रधान द्वारा गार्गी मंच को मार्गदर्शन हेतु पृथक–पृथक दायित्व

1. <u>सुगमकर्ता का दायित्व होगा कि</u> – गार्गी मंच हेतु प्रस्तावित नामांकन अभियान एवं मासिक बैठकों व चर्चाओं हेतु मंच के सदस्यों को सहयोग देगी। साथ ही विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राएं गार्गी मंच की गतिविधियों से जुड़े, इस हेतु नियोजन करेगी और गार्गी मंच को प्रोत्साहित करेगी। विशेष रूप से सुगमकर्ता निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन करेगी –
   - गार्गी मंच के गठन में सहयोग करें।
   - गार्गी मंच के सदस्य चुनने में सहयोग करें।
   - गार्गी मंच की सदस्यों को समझाएं कि उन्हें क्या और कैसे करना है।
   - चर्चाओं को शुरूआती दौर में आयोजित कर सीखायें कि वे कैसे विषय–वस्तु से जुड़ कर वार्ता करें और स्कूल के सभी बालक–बालिकाओं को उसमें सहभागी करवायें।
   - कार्यक्रम अथवा चर्चाओं को सार्थक बनाने हेतु संबंधित विषय सामग्री प्राप्त करने हेतु सहयोग करें।
   - मंच की बालिकाओं को स्कूल में और समुदाय में होने वाली गतिविधियों की योजना बनाने और उसके संचालन में मार्गदर्शन दें।
   - मंच की बालिकाओं को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी प्रतिभा और प्रयासों को स्कूल से बाहर प्रदर्शन कर सकें और बदलाव के लिये किये जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा दें।
   - मंच के सराहनीय कार्यों को स्कूल एवं समुदाय में प्रोत्साहित करें।
   - संस्थाप्रधानों के दिशा निर्देशानुसार गार्गी मंच को प्रभावी बनाना।

www.rajteachers.com

2. **संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी होगी कि सुगमकर्ता अपना दायित्व पूरा कर सके।** संस्थाप्रधान सुगमकर्ता को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, मॉनीटरिंग, सहयोग प्रदान करेगा जिससे की गार्गी मंच प्रभावी ढ़ग से कार्य कर सके। साथ ही गार्गी मंच की समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु समस्त व्यवस्थाएं/उपस्थिति/ सुविधाओं/सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करने का दायित्व संस्थाप्रधान का होगा। साथ ही समय–समय पर बालिकाओं की मांग अनुसार समुदाय में बैठकें आयोजित करना/ बाहर से वक्ताओं/संदर्भ व्यक्तियों को बुला चर्चा करवाना, स्कूल एवं समुदाय में विभिन्न बैठकें आयोजित करवाना इत्यादि का कार्य भी संस्थाप्रधान का होगा।

2. गार्गी मंच हेतु गतिविधियाँ

गार्गी मंच के सदस्य प्रत्येक माह में दो बार अपनी गतिवधियों का संचालन करेंगे, जिस हेतु संस्थाप्रधान विद्यालय समय सारणी में व्यवस्था करेंगे और सुगमकर्ता गतिविधि संचालन में मार्गदर्शन करेगी। गार्गी मंच के सदस्य अपनी गतिविधियों के संचालन में विद्यालय के समस्त अन्य छात्राओं और छात्रों को भी अपने साथ जोड़ेगे। गार्गी मंच के संचालन हेतु छात्राओं को निम्नांकित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रोत्साहित किया जाये, जिसका विवरण संलग्न है –

- प्रवेशोत्सव।
- उपस्थिति चार्ट।
- नुक्कड नाटक।
- छोटे समूह में चर्चा (उपस्थिति, बाल विवाह, सुरक्षा, बाल श्रम, जेण्डर आधारित भेदभाव, आदि)
- खतरों की पहचान।
- सुरक्षा, संरक्षा पर सुगमकर्ता द्वारा चर्चा और काउन्सिलिंग (क्रिटिकल डॉयलॉग टूल का उपयोग करें)।
- सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों की पहचान।
- जीवनयापन, जेण्डर एवं सोच पर शिक्षिकाओं द्वारा नियमित संवाद।
- द्वैमासिक कार्यशालाओं का आयोजन – संस्थाप्रधान विद्यालय में समय–समय पर छात्राओं–छात्रों को बाल अधिकार, जेण्डर संवेदनशीलता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महावारी स्वच्छता एवं मिथक आदि विषयवस्तु पर जागरूक करने हेतु विशेषज्ञ आमंत्रित कर प्रति दो माह में एक कार्यशाला भी करवाये।

समस्त गतिविधियां गार्गी मंच पहले स्वयं के स्तर पर कर सीखे और समझे। तत्पश्चात छोटे–छोटे समूहों में (कक्षावार) अन्य साथी बालिकाओं/बालकों के साथ भी करे। गतिविधियों करने से पूर्व एवं पश्चात सुगमकर्ता समूह से चर्चा करे और यह सुनिश्चित करे कि क्या कोई भी ऐसा केस तो नहीं है जिसे शिक्षक/विद्यालय के स्तर से सुलझाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही गार्गी मंच के सदस्यों को समय–समय पर पूरा सहयोग, उत्साह एवं मार्गदर्शन प्रदान करे। गार्गी मंच के किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थाप्रधान समय–समय पर विद्यालय स्तरीय समारोहों में अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्मानित करे। इसके अतिरिक्त विद्यालय के बरामदे के एक हिस्से पर गार्गी मंच के अध्यक्ष का नाम समयावधि सहित पेन्ट करवाकर लिखा जाये तथा इसे प्रतिवर्ष आगे बढ़ाया जाये।

3. गार्गी मंच के अर्न्तगत किये जाने वाले कार्य एवं वित्तीय प्रावधान

गार्गी मंच की नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त सत्र पर्यन्त विद्यालय प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित दो गतिविधियों का संचालन समारोह पूर्वक किया जायेगा।

(3.1) राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन

प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। सत्र 2017–18 में 24 जनवरी 2018 को समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। समारोह में मुख्य तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाये –

www.rajteachers.com

- राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आधे दिन विद्यालय में समारोह का आयोजन किया जाये। समारोह में छात्राओं की उपलब्धियों, विद्यालय में किये जा रहे सुधारों के साथ–साथ विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाये।
- आयोजन की पूरी योजना गार्गी मंच के द्वारा की जाये। योजनानुसार संस्थाप्रधान पूरे कार्यक्रम को साकार रूप देने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मंच संचालन संबंधी कार्य भी छात्राओं को दिये जायें।
- आयोजन में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं बाल अधिकारों पर स्लोगन तख्तियों पर लिखे जायें जिसे विद्यालय में समारोह के स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।
- बाल अधिकारों, बालिका शिक्षा और जेण्ड़र संबंधी मुद्दों पर कम से कम दो नाटकों का आयोजन भी गार्गी मंच के माध्यम से किया जाये।
- समारोह में वाद–विवाद, चित्रकला, रंगोली, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकेगा।
- बालिकाओं द्वारा सीखी गयी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी प्रर्दशन किया जाये।
- समस्त बच्चों को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं विविध योजनाओं, बाल अधिकारों पर जानकारी देने हेतु पम्पलेट प्रिन्ट करवाकर दिये जायें।
- पम्पलेट में बालिका शिक्षा स्लोगन भी दिये जा सकेंगे। पम्पलेट की प्रिन्ट सामग्री संदर्भ हेतु संलग्न है। विद्यालय पम्पलेट के साथ अपने स्कूल की रोल मॉडल की जानकारी भी उपलब्ध करा सकता है।
- बच्चों को स्वयं पढ़ने, घर के सदस्यों और अपने साथियों को पढ़ाने और स्वयं के साथ रखने हेतु कहा जाये।
- समस्त अभिभावकों को समारोह में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाये।
- सामारोह में आधा समय अभिभावकों के साथ चर्चा का रखा जाये। जिसके दौरान अभिभावकों को विद्यालय के छात्राओं की उपलब्धियों पर चर्चा की जाये। उपलब्धियों में विद्यालय से निकले रोल मॉडल को भी सम्मिलिति किया जाये।
- समारोह में नियमित विद्यालय आने वाली छात्राओं के अभिभावकों को सम्मानित किया जाये।
- समारोह में अभिभावकों से विद्यालय को बालिका संवेदी बनाने हेतु सुझाव मांगे जाये और उसका रिकार्ड भी संधारित हो।
- राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन विद्यालय समय के आधे अवधि में समस्त विद्यालयों में किया जाये।

(3.2) जेण्डर रिपोर्ट कार्ड एवं गार्गी मंच की उपलब्धियों का प्रदर्शन

सभी विद्यालय बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों, इस हेतु आवश्यक है कि वे तय पैरामीटर पर सभी विद्यालयों समय–समय पर स्वयं का आकलन करें और प्रभावशाली कदम उठायें। इस ओर स्व–आकलन हेतु प्रोत्साहित करने की दिशा में सभी विद्यालयों में **गार्गी मंच का प्रचार प्रसार किया जावे।**

गार्गी मंच की गतिविधियाँ

1. प्रवेशोत्सव एवं नामांकन अभियान

1. संस्थाप्रधान गार्गी मंच को विद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 8 उर्त्तीण बालिकाओं की सूची–विद्यालय में नामांकित और अनामांकित श्रेणीवार, उपलब्ध करवायेगा।
2. गार्गी मंच सूची का विश्लेषण कर यह निर्धारित करेंगे कि किस गांव, ढ़ाणी/क्षेत्र से बालिकाएं अभी तक नामांकित नहीं हुई हैं। ऐसी बालिकाओं की सूची को उसी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों का समूह बनाकर साझा किया जायेगा और उन्हें स्कूल में लाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाये एवं कार्य क्षेत्र भी ग्राम पंचायत स्तरीय हो जो बालिकाएं किशोर–किशोरियों के समूह के द्वारा भी विद्यालय में नामांकित नहीं हो पातीं, उन किशोरियों को विद्यालय परिसर में अपने अभिभावकों (विशेषकर माताओं) के सहित भ्रमण/आने हेतु

www.rajteachers.com

गार्गी मंच आमंत्रित करे। विद्यालय परिसर में **नामांकन प्रेरणा** का कार्यक्रम आयोजित हो, जिसमें नाटक, कहानी, प्रेरणा संदेश, कविताएं इत्यादि प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इस हेतु गार्गी मंच विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को प्रस्तुति देने हेतु आमंत्रित करे और चयनित प्रस्तुतियां रखी जायें। उक्त कार्यक्रम का आयोजन आवश्यकतानुसार प्रार्थना–सभा अथवा मध्यान्ह अथवा विद्यालय समय के अंतिम एक घण्टे में किया जा सकेगा।

4. गार्गी मंच कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं की प्राप्त सूची में अधिकतम ड्रॉपआउट वाले गांव, ढ़ाणी में से सुगमकर्ता के माध्यम से किसी एक अथवा दो गांवों का चयन करे और उस क्षेत्र/गांव हेतु **विशेष नामांकन अभियान** का आयोजन करे। उक्त कार्यक्रम **जिले के समस्त विद्यालयों द्वारा एक साथ** किया जाये। अर्थात जिले के समस्त माध्यमिक व उ0मा0 विद्यालयों द्वारा अधिकत ड्रॉपआउट वाले किसी एक अथवा दो गांवों/क्षेत्र में गार्गी मंच नामांकन अभियान का आयोजन किया जायेगा।
5. उक्त नामांकन अभियान हेतु गार्गी मंच सुगमकर्ता एवं प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में निम्नलिखित तैयारी करेगा –
   - सुगमकर्ता के सहयोग से अभियान की तैयारी की रूपरेखा बनाना।
   - आपसी चर्चाकर गार्गी मंच के समस्त सदस्यों में कार्य विभाजन करना। आवश्यकतानुसार गार्गी मंच के सदस्य/प्रेरक अपनी कक्षाओं से सहयोग हेतु अन्य बालिकाओं का चयन करना।
   - बच्चों द्वारा अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की पूर्व तैयारी करना, जैसे नाटक, गीत, स्लोगन, तख्तियां, कहानी, प्रेरणास्पद रोज–मॉडल बालिकाओं की जीवन, आदि।
     ध्यान रहे कि उक्त अभियान में बालिकाओं की भागीदारी अधिकतम रहे, इस हेतु प्रत्येक 4 में से 3 विद्यार्थी बालिकाएं ही हों।
   - कार्ययोजना एवं दायित्वों के विभाजन की योजना को प्रधानाध्यापक से साझा करना।
   - संबंधित वार्ड सदस्य से मिल कर सहयोग प्राप्त करना।
   - पंचायत के सरपंच को अभियान के आह्वान करने और अभिभावकों व बालिकाओं को संदेश देने हेतु आमंत्रित करना।
   - प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्थाप्रधान अपने ग्राम पंचायत के अनामांकित ड्रॉपआउट बालिकाओं (आयु 14–17 वर्ष) की सूची तैयार करे तथा उनका शतप्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करें।
   - पंचायत की स्थायी शिक्षा समिति के सदस्यों को अभियान में प्रतिभाग लेने हेतु आमंत्रित करना।
   - एस.डी.एम.सी. सदस्यों को आमंत्रित करना। उनकी बैठक बुलवाकर समस्त ड्रॉपआउट बालिकाओं की सूची साझा एवं सहयोग लेना। कार्यक्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार जिम्मेदारी तयकर सौंपना।
   - चयनित क्षेत्र/मजरे से आने वाले अथवा निकटतम मजरे के छात्र व छात्राओं के माध्यम से उस क्षेत्र के समस्त परिवारों को (विशेषकर ड्रॉपआउट बालिकाओं और उनके अभिभावकों को) कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आमंत्रित करना।
   - उक्त कार्यक्रम में अपने पंचायत/ब्लॉक/जिले से राजकीय विद्यालय से पढ़ कर कोई मुकाम हासिल करने वाली महिला को प्रेरणा–स्त्रोत/रोल–मॉडल के रूप में आमंत्रित करना।
   - विभिन्न राजकीय/गैर–राजकीय क्षेत्रों से जुड़ी सक्रिय एवं प्रेरणा/हौसला देने वाली महिलाओं को आमंत्रित करना।
6. उक्त नामांकन अभियान का संचालन निम्नानुसार किया जायेगा –
   - अभिभावकों की अधिकतम उपलब्धता के अनुसार समय का निर्धारण किया जाये।
   - गार्गी मंच के सदस्य एवं सुगमकर्ता के अतिरिक्त, विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी भी उक्त नामांकन अभियान में प्रतिभाग करेंगे।
     ध्यान दें कि जो बालिकाएं उस मजरे/क्षेत्र से देर रहती हों, उसकी उसके घर के दूरी के मध्य की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए, उसे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जाये। अतः बच्चों के सहभागिता हेतु चयनित स्थल से उनकी दूरी को भी मध्यनजर रखा जाये।
   - समस्त बच्चे नामांकन हेतु प्रेरणा संदेश, स्लोगन आदि की तख्तियां बनाकर साथ ले जायेंगे।
   - शिक्षक एवं बच्चे पूरे मजरे में भ्रमण करेंगे और स्लोगन व प्रेरणा गीत गायेंगे।

www.rajteachers.com

- समुदाय के किसी एक स्थान पर एकत्र होकर नामांकन एवं बालिका शिक्षा हेतु संदेश देंगे। इस हेतु गीत, कहानियां, नाटक आदि का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त नाटक, कहानियों, गीतों के तैयारी हेतु संस्थाप्रधान विद्यालय अथवा बाहर से किसी आर्टिस्ट की सहायता ले सकेगा। अथवा किसी कला–जत्था के आर्टिस्ट को आमंत्रित कर सकेगा। उक्त आर्टिस्ट को मानदेय न देकर सम्मानित किया जाये।
- कार्यक्रम की समाप्ति पर सरपंच, वार्ड सदस्य, एसडीएमसी के सदस्य, प्रधानाध्यापक एवं गार्गी मंच के सदस्यों द्वारा ड्रॉपआउट बालिकाओं की सूची–अनुसार एक–एक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा हो और उसका निवारण हेतु तत्काल निर्णय लिये जायें।
- अभियान के माध्यम से नामांकित होने वाली बालिकाओं को स्कूल में जोड़े रखने हेतु विद्यालय स्तर पर लिये जाने वाले प्रयासों पर भी चर्चा साथ में की जाए।
- अन्त में समुदाय, अभिभावक, पंचायत सदस्य, छात्र–छात्राएं आदि सामूहिक शपथ लें कि वे अपने बच्चों को/मजरे के बच्चों को नियमित स्कूल भेजेंगे; अथवा स्वयं नियमित स्कूल आयेंगे और अन्यों को प्रोत्साहित करेंगे।
- किसी एक स्थान पर उक्त नामांकन अभियान हेतु कम से कम 2–3 घण्टे बिताये जायें।
- गार्गी मंच द्वारा नामांकित छात्राओं की सूची तैयार कर प्रदर्शित की जायें।

2. उपस्थिति चार्ट (नियमित उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन)

यह गतिविधि बालिकाओं को नियमित स्कूल आने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से की जायेगी। इसके अंतर्गत कक्षा के सभी बच्चों के नाम, चार्ट पर अंकित कर माहवार उपस्थिति दर्शायी जायेगी। माह के अंतिम कार्य दिवस पर, उस माह में 20 दिन या उससे अधिक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को "हरा स्टार" दें। 15 से 19 दिन स्कूल आने वाले बच्चों को "पीला स्टार" दें। कक्षाध्यापक "हरा एवं पीला स्टार" पाने वाले बच्चों के लिए कक्षा/प्रार्थना स्थल पर तालियां बजवाये। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगातार अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने हेतु अभिभावकों से संपर्क कर अध्यापक/गार्गी मंच के सदस्य प्रेरित करें। गार्गी मंच के कक्षावार एक सखी एवं एक सखा अपनी कक्षा हेतु कक्षा अध्यापिका के सहयोग से उपस्थिति चार्ट बनायेगे। चार्ट का निर्माण 01 अगस्त से आवश्यक रूप से शुरू कर दिया जाये जो कि वर्षपर्यन्त जारी रहेगी। इसमें गार्गी मंच की कक्षा प्रभारी अपनी कक्षा के बच्चों की उपस्थिति प्रत्येक माह अंकित करेंगी। इस हेतु चार्ट पेपर इत्यादि का क्रय गार्गी मंच की नियमित गतिविधियों हेतु निर्धारित राशि में से किया जा सकेगा। सभी कक्षाध्यापक और प्रधानाध्यापक मंच के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे कि उनकी भागीदारी से स्कूल में बच्चों की नियमित उपस्थिति में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है और सत्र के प्रारम्भ एवं अन्त में बच्चों का तुलनात्मक ठहराव कितना रहा। जिला एवं राज्य स्तर से इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।

उपस्थिति चार्ट का प्रारूप

कक्षा– गार्गी मंच कक्षा प्रभारी (शाला सखी एवं शाला सखा) का नाम–

क्र. सं.	छात्र/छात्राओं का नाम	माह का नाम											
		अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नव.	दिस.	जन.	फरवरी	मार्च

3. सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों की पहचान

सुगमकर्ता पहली बार इस खेल को खिलाये और खेल पश्चात अन्य समूहों में इसे खेले जाने के नियम और सावधानियों को समझाये। इस खेल में अपेक्षाकृत बड़े बच्चों को नेतृत्व करने का मौका दिया जाये। गार्गी मंच दो समूहो में बंट जाये और एक खेल खेले। पहले समूह को ऐसे शब्दों को बोलने को कहा जाये जो किसी भी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो। इसी प्रकार दूसरे समूह को ऐसे शब्दों को बोलने को कहा जाये जो किसी भी व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता हो। दूसरा समूह यदि प्रस्तावित शब्द से सहमत हो तो समूह के अपने शब्दों को चार्ट पेपर/कॉपी में लिख लें।

www.rajteachers.com

दोनों समूह को प्रस्तुति देने को कहा जाये और तब सुगमकर्ता सहयोग करे कि ऐसे कितन शब्द हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में लाते हैं जो कि जेण्डर, जाति, रंग, शारीरिक रचना आदि से जुड़े हैं और हमें और हमारी सोच, हमारे सपनों को सकारात्मक/नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है।

4. खतरों की पहचान

गार्गी मंच के सदस्यों को सर्वप्रथम नजरी नक्शा के कॉन्सेप्ट पर समझाया जाये। इसके बाद पेपर या चार्ट पर अलग–अलग नक्शा बनाने को कहें –

- विद्यालय और विद्यालय के सभी महत्वपूर्ण स्थान जहाँ वे जाते हैं।
- घर से विद्यालय आने का रास्ता, रास्ते में आने वाले सब पोइन्ट जैसे खाली रास्ता, चाय/पान की दुकान, ढ़ाबा, बस्ती, शराब का ठेका, आदि।
- मौहल्ले/गांव में सभी जगह जहाँ वे जाते हों।

अब उन्हें लाल और हरा रंग देकर कहें – जिन स्थानों पर उन्हें जाना अच्छा नहीं लगता उस पर लाल रंग से गोला बनायें और जिन स्थानों पर उन्हें जाना अच्छा लगता उस पर हरे रंग से गोला बनायें।

इसके बाद सुगमकर्ता सबसे चर्चा करे चिन्हित करे कि क्या संभावित कारण हैं जिससे वो स्थान उन्हें अच्छे नहीं लगते। **विशेष ध्यान दे कि किसी एक या दो बच्चों की स्थिति में पृथक से बात की जाये।** बच्चों को इसी प्रकार अपनी–अपनी कक्षा में सहपाठियों से मैप बनाने को कहा जाये। लाल रंग वाले स्थानों का अध्ययन सुगमकर्ता एवं संस्थाप्रधान करें और प्रभावित छात्रा–छात्र से पृथक से चर्चा करें।

उक्त गतिविधि पश्चात दूसरे चरण में उन व्यक्तियों के नाम चिन्हित करें जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं या नापंसद। प्रभावति करने वाले कारणों को तलाशें और सुनिश्चित करें कि बच्चे किसी असहज स्थिति में नहीं हों। विद्यालय संबंधी कारणों का तत्काल समाधान किया जाये और पारिवारिक कारणों को काउन्सिलिंग अथवा पोलिस/बाल संरक्षण समिति की मदद से समाधान किया जाये।

जेण्डर रिपोर्ट कार्ड

इण्डीकेटर

1. विद्यालय परिक्षेत्र (panchayat area including elementary schools) में कुल बालिकाएं (जनगणना, पंचायत, शिक्षा विभाग के आंकडों के अनुसार)
    - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर
2. विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं।
    - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर
3. ओपन स्कूल में नामांकित बालिकाएं – माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर।
4. कुल आउट ऑफ स्कूल बालिकाएं।
    - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर
5. विद्यालय के कोहार्ट (सत्रवार बढ़ते क्रम में) नामांकन में फर्क –

कोहार्ट– सत्र 2010 में कक्षा 5 में नामांकित बालिकाओं में से कितनी बालिकाएं 2017 में कक्षा 12 में पहुंची।

- कक्षा 1 और कक्षा 5
- कक्षा 5 और कक्षा 8
- कक्षा 8 और कक्षा 10
- कक्षा 10 और कक्षा 12

www.rajteachers.com

6. 75 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति वाली बालिकाओं की संख्या
    - प्राथमिक स्तर पर
    - उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक स्तर पर
    - उच्च माध्यमिक स्तर पर
7. प्रारम्भिक से माध्यमिक में ट्रान्जिशन रेट।
8. उच्च माध्यमिक से महाविद्यालय में ट्रान्जिशन रेट।
9. कक्षा 8 में ग्रेड–ए के साथ उत्तीर्ण होने वाली कुल बालिकाओं का प्रतिशत।
10. कक्षा 10 एवं 12 में कुल उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत।
11. विद्यालय में बाल विवाहित बालिकाओं एवं बालकों की संख्या।
12. विद्यालय में एनेमिक बालिकाओं की संख्या।

www.rajteachers.com

संलग्नक–3
अध्यापिका मंच

पूर्व अनुभव

अध्यापिका मंच के संचालन को पांच साल हो चुके हैं और मंच से जुड़े सदस्यों के काफी अच्छे अनुभव रहे और मंच के साथ जुड़कर उन्होने कई सकारात्मक प्रयास भी किये। एक संक्षिप्त डाक्यूमेन्टेशन के माध्यम से इसे संकलित करने का भी प्रयास किया गया, जिसमें से कुछ मुख्य अनुभव/प्रभाव निम्नलिखित हैं –

- मंच की सदस्यों ने अभिभावकों से संवाद किये और बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ायी।
- गुणवत्ता शिक्षा हेतु कक्षाओं में सीखने–सिखाने की प्रक्रियाओं को प्रभावित किया, गतिविधि आधारित शिक्षण विधाओं को प्रभावी बनाया, विज्ञान प्रोजक्ट व मेलों का आयोजन में पहल की और प्रशिक्षकों के रोल में भी आगे आयीं।
- बालिकाओं की स्वच्छता, विवाह, छेड़छाड़, हिंसा आदि विषयों पर चर्चा की और बालिकाओं के साथ व्यक्तिगत संवाद भी किये।
- विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न पहल की जैसे, बालिकाओं को खेलकूद में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना, टायलेट की स्वच्छता, उपयोग और बालिकाओं को उसकी उपलब्धता, डस्टबिन का प्रयोग, विद्यालय के गतिविधियों में बालिकाओं–बालकों की बातों को सुना जाना और उन्हें पहल करने का मौका देना, आदि।
- उक्त के अतिरिक्त कार्यशालाओं के माध्यम अपनी क्षमता–संवर्द्धन करना जैसे, सैलेरी निर्धारण, डी. एल., सर्विस बुक तैयार करना, टी.ए. बिल भरना, विद्यालयों में कार्यवितरण, आदि।

अध्यापिका मंच की संकल्पना एवं उद्देश्य–

अध्यापिकाओं के साथ जुड़ी दोहरी जिम्मेदारी और समाज में महिलाओं को मिलने वाली सीमित अवसरों के कारण, उन्हें अपनी प्रतिभा को मुखरित करने, अपने क्षेत्र/व्यवसाय में पहचान बनाने, आत्मविश्वास से भरी महिला के रूप में उभरने के मौके कम मिलते हैं। सीखने के अवसरों को वे अपने दोहरे दायित्व के कारण पूरी तरह उपयोग में नहीं ला पाती हैं। अतः अध्यापिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, छुपी प्रतिभाओं को मुखरित करने, अच्छे प्रशिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाने और सबसे महत्वपूर्ण विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए सशक्त महिला के रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हेतु अध्यापिका मंच का गठन किया गया है।

अध्यापिका मंच के उद्देश्यः

- महिला शिक्षिकाओं को व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराना।
- शिक्षिका के रूप में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना।
- समाज एवं विद्यालय में सकारात्मक संवाद के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना एवं बालिका शिक्षा हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार करना।
- बालिकाओं के साथ सहज संवाद के द्वारा उन्हें समस्याओं एवं चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना।

उक्त उद्देश्यों को समाहित करते हुए अध्यापिका मंच सामूहिक रूप अपने ब्लॉक की स्थानीय परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए स्वयं निम्नांकित प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करेगा–

1. शिक्षिका का अच्छे प्रशिक्षक के रूप में स्वयं का विकास करना – नवाचार करना और अच्छे प्रशिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाना।
2. विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षिकाओं की क्षमता में अभिवृद्धि करना। शिक्षिकाओं की प्रतिभाओं को मुखरित करना।
3. बच्चों, विद्यालय व समुदाय में समन्वय करना एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना – विद्यालय में शैक्षिक स्तर सुधारना, नियमित उपस्थिति के लिए समुदाय में जागरूकता लाना, और वंचित वर्ग की बालिकाओं को सीखने के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना।

www.rajteachers.com

4. विद्यालय में स्वयं को मित्र, रोल मॉडल और सहयोगी की भूमिका में स्थापित करना – किशोरवय बालिकाओं की भावनात्मक संबल देना और उनकी शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करना।
5. जेण्डर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा एवं समझ विकसित करना – विद्यालय में समावेशी एवं बालिका मित्रवत वातावरण का निर्माण करना।
6. सामूहिक रूप से विद्यालय विकास एवं निजी समस्याओं हेतु प्रयास करना।

अध्यापिका मंचों की सक्रियता व सफलता इस बात से आंकी जाएगी कि सदस्यों द्वारा विद्यालय में स्वयं की भूमिका, शिक्षण तथा वातावरण निर्माण में किए गए सकारात्मक बदलाव क्या हैं और बालिकाओं के विद्यालय आने की नियमितता में कितना सुधार है और समस्त बालिकाओं की विद्यालय की शैक्षिक व अन्य गतिविधियों में कितनी भागिदारी है। अर्थात, मंचों ने स्वयं अध्यापिका में, संबंधित विद्यालय में तथा कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन और उसके वातावारण पर क्या–क्या प्रभाव डाले?

अध्यापिका मंच का गठन–

सत्र 2011–12 में अध्यापिका मंच का संचालन 248 ब्लॉक में किया गया था और सत्र 2013–14 में 256 ब्लॉक में। इस सत्र 2016–17 में अध्यापिका मंच का संचालन 302 ब्लॉक (अजमेर शहर सहित) में किया जायेगा। इस सत्र में सभी ब्लॉक में अध्यापिका मंच का गठन/पुर्नगठन किया जाना है।

- आध्यापिका मंच ब्लॉक स्तर पर गठित और संचालित किया जायेगा। प्रत्येक मंच में सदस्यों की संख्या 100 तक होगी।
- अध्यापिका मंच के गठन हेतु बीईईओ द्वारा समस्त विद्यालयों को 21 जुलाई तक अध्यापिका मंच के गठन की सूचना भेजी जायेगी। सूचना के आधार पर सभी विद्यालयोंसे सदस्यता हेतु अधिकतम दो आवेदन प्राप्त किये जायेगें। आवेदन करते समय अध्यापिका को यह स्पष्ट करना होगा कि वह –
  - इस मंच से क्या अपेक्षा रखती है (जो कि क्षमता संवर्द्धन का एजेण्ड़ा तय करने में सहायक होगा)
  - मंच के प्रभावी संचालन हेतु वह अपना क्या योगदान देना चाहेगी।
- ब्लॉक में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर मंच की पुरानी अनुभवी सदस्याओं के साथ मिलकर बीईईओ आवेदनों का अवलोकन कर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चिह्निनीकरण करेंगे। मंच की सदस्यता को प्रतिवर्ष क्रमबद्धता (रोटेशन) से नए आवेदन के साथ जोड़ा जा सकता हैं। जिससे सभी इच्छुक शिक्षिकाओं को अवसर मिल सके।
- यहां यह ध्यान रखने योग्य है कि मंच की बैठक में पूर्णतया भाग ना लेने वाली सदस्यों को मंच से तुरंत प्रभाव से अलग किया जाए। यह बैठक बिना भागीदारी के उद्देश्यहीन होगी।
- प्रथम बैठक में सभी अध्यापिका सदस्यों का परिचय विवरण एकत्रित किया जाए जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य ली जायें – नाम, पदस्थापन, मो0न0, शैक्षणिक योग्यता एवं विषय, राज्य/जिले पर दिये गये प्रशिक्षण, व्यक्तिगत रूचि के अधिकतम दो क्षेत्र, व्यावसायिक प्रगति हेतु रूचि के कोई दो क्षेत्र, और अपने लिए कोई एक सपना। संलग्न प्रपत्र के अनुसार उक्त सूचना को संकलित करा टैफ के नम्बर, सहित सॉफ्ट कॉपी में राप्राशिप जयपुर को उपलब्ध कराया जाये।
- मंच के सभी सदस्यों को चार्टपेपर पर हस्तनिर्मित परिचय–पत्र दिया जाये, जिसमें सदस्य के नाम, पदस्थान, मो0न0 के साथ उसकी किसी दो क्षमताओं का और एक क्षमता अभिवर्द्धन की आवश्यकता का उल्लेख हो।
- मंच के सफल संचालन हेतु बीईईओ एवं एपीसी बा.शि. के संयुक्त निर्णय द्वारा मंच की संयोजिका एवं सहसंयोजिका का मनोनयन किया जायेगा जो कि मंच की प्रथम बैठक तक समस्त कार्य करेंगे। और मंच की प्रथम बैठक में उनका चयन मंच के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से होगा। किसी भी मतभेद की स्थिति में एडीपीसी का निर्णय अंतिम होगा।

www.rajteachers.com

अध्यापिका मंच आयोजन समिति के कार्य

- संयोजिका व सहसंयोजिका के चुनाव के बाद, मंच की प्रथम बैठक में **अध्यापिका मंच आयोजन समिति** के सदस्यों का चयन किया जायेगा। जिसमें 5 सदस्य होंगे, जो कि निम्नलिखित 5 कार्यों के निर्वाह हेतु कार्य–विभाजन करेंगे किन्तु साथ ही संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे –

1. पहला कार्यक्षेत्र – समस्त सदस्यों के छोटे–छोटे समूहों बना कर आपसी समन्वयन बनाये रखे और लगातार संप्रेषण बनाये रखना। और सभी सदस्यों को विश्वास में रखना कि उनके सभी प्रयासों और चुनौतियों में मंच उसके सहयोग हेतु सक्रिय है। सदस्यों को ईमेल/वाट्सअप/फेसबुक/अन्य साधनों से जोड़े रखना। साथ ही इस **संप्रेषण के माध्यमों का प्रयोग मंच के कार्य एवं सफलतामूलक प्रयासों को साझा करने हेतु जाये न कि व्यक्तिगत विचारों के आदान–प्रदान हेतु।**
2. दूसरा कार्यक्षेत्र – सदस्यों के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्रों को चिन्हित करने एवं उसके लिए संदर्भ व्यक्तियों एवं संदर्भ संस्थाओं से समन्वयन करना। आवश्यकताओं का निर्धारण करके क्षमता अभिवर्द्धन कार्यशालाओं का आयोजन हेतु ऐजण्ड़ा एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. तीसरा कार्यक्षेत्र – अपने ब्लॉक में हो रही समस्त गतिविधियों की जानकारी रखे और उसकी सूचना समस्त सदस्यों तक भेजा जाना सुनिश्चित करे। साथ ही अपने सदस्यों में से क्षेत्र विशेष में दक्षता रखने वाली सदस्या को प्रतिभाग लेने हेतु प्रोत्साहित करे।
4. चौथा कार्यक्षेत्र – मंच के सदस्यों द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों, नवाचारों का संकलन कर प्रोत्साहित करना। साथ ही, चुनौतियों को पहचान कर उसके निवारण हेतु सामूहिक प्रयास करना। अन्य मंचों के सम्पर्क में रहना। उपलब्धियों एवं चुनौतियों एवं उसके साथ जुड़ी प्रक्रियाओं को जिले एवं राज्य कार्यालय तक त्रैमासिक/द्विवार्षिक रिपोर्ट भेजा जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
5. पांचवा कार्यक्षेत्र – बाल–अधिकारों, बच्चों से समस्या समाधान के तरीकों पर शिक्षिकाओं को मार्गदर्शन देना। समुदाय के साथ बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा आदि के मुद्दों पर संवाद बनाने के सफल तरीकों, विद्यालय में अन्य शिक्षक–शिक्षिकाओं के साथ टीम बना कर अभिभावकों के साथ सार्थक संवाद करने के तरीकों पर तैयार करना। बालिका शिक्षा (मीना मंच, पढ़े भारत, बढ़े भारत, अन्य नवाचार) के अर्न्तगत मंच द्वारा किये जा रहे प्रयासों से परियोजना कार्यालय के समन्वयकों/अधिकरियों आदि को अवगत करना और आवश्यक सहयोग लेना।
6. उक्त पांच कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जो भी कार्य होंगे व संयाजिका एवं सह–संयाजिका के माध्यम से आयोजन समिति के सदस्य मिल कर करेंगे। जैसे, कार्यक्रमों का संचालन, वित्तीय एवं लेखा व्यवस्थाएं आदि।

नोट– आयोजन समिति के सदस्य आवश्यकतानुसार मंच के सदस्यों के साथ मिल कर उप–समूह बना लें और प्रदत्त कार्यों का निर्वाह उप–समितियों के माध्यम से करें। इस प्रकार मंच के सदस्यों की सहभागिता भी बढ़ेगी और आयोजन समिति अपने कार्यों को प्रभावी ढ़ग से कर पायेगी।

अध्यापिका मंच के आयोजन समिति के चयन का आधार

- संयोजिका, सहसंयोजिका एवं आयोजन समिति के सदस्यता हेतु शिक्षिकाओं का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाये जो –
  - अपनी बात को सहज रूप में रख सके।
  - साथी महिला शिक्षिकाओं को साथ लेकर गतिविधियों का संचालन कर सके।
  - ब्लॉक की अकादमिक गतिविधियों में रूचि के साथ भागीदारी करती हों।
  - अपने साथियों एवं संबंधित अधिकारियों से सार्थक संवाद बना सके।
  - स्वयं ने मंच के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं प्रस्तावित कार्यों में विशेष एवं उदाहरणीय प्रयास किये हों।

www.rajteachers.com

अध्यापिका मंच की बैठकों/गत सत्रों की कार्यशालाओं का एजेण्ड़ा/तैयारी –

प्रस्तावित दो कार्यशाला, दो बैठकें (योजना एवं समीक्षा) और एक क्लस्टर संबलन बैठक में अध्यापिका मंच अपने उक्त तीनों एजेण्डे को पूरा करने के लिए अध्यापिका मंच निम्नलिखित तरीकों से काम करेगी –

प्रथम योजना व अभिमुखीकरण बैठक का एजेण्ड़ा–

- अपने विद्यालय में एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक, शहरी वंचित वर्ग के बच्चों एवं बालिकाओं की कम से कम 85 प्रति0 नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यनीतियां।
- विद्यालय में मीना मंच बनाना और उसको सदृढ़ करना।
- बालिकाओं हेतु 'अभ्यास' गतिविधि की सफलता हेतु भाषा की कक्षा के अतिरिक्त सभी विषयों में विषय आधारित जानकारी/कौशल के अतिरिक्त, भाषा (पढ़ना और लिखना) पर भी साथ–साथ काम करने।
- क्लस्टर–वार सदस्यों के समूह बनाना जो कि क्लस्टर बैठक को प्रभावी बनाने में सहयोगी होंगे।

प्रथम क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला का एजेण्ड़ा–

- विद्यालय में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, के साथ क्रिटिकल डायलॉग (जेण्डर एवं सामाजिक कुरीतियां जैसे बालविवाह, बालश्रम, छेड़छाड़, हिंसा, विद्यालय में सुरक्षा, आदि एवं बाल व महिला अधिकार)।
- समुदाय के साथ एस.एम.सी. बैठकों एवं पी.टी.ए. बैठकों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं की प्रगति को साझा करने के तरीकों पर जानकारी देना।
- बालिकाओं हेतु 'अभ्यास' (सब पढ़ें, सब बढ़ें) के अर्न्तगत विभिन्न नावाचार करना – (1) लाइब्रेरी को बालिकाओं के उपयोग में लाना, वर्गीकरण व उपयोग का समय निर्धारण, संचालन। (2) अपनी कक्षाओं में रीडिंग कार्नर बनाना। (3) विद्यालयमें बडी/पीयर लर्निंग का प्रयोग करना। (4) बच्चों को व्यक्तिगत कार्य एवं समूह में कार्य करवाना। (5) बच्चों को स्वयं एवं सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन विधा को बढ़ावा देना। (6) विभिन्न मुद्दों पर बच्चों से वॉल मैगजीन एवं प्रत्येक कक्षा से विद्यालयमैगजीन बनावाना। (7) बच्चों की कार्यशालाएं कराना – नाटक लिखवाना और करवाना।
- मीना मंच और उसकी गतिविधियों को सुदृढ़ करना।
- साथियों के साथ अपने सफल प्रयास/अनुभव साझा करना।

द्वितीय क्षमता संवर्द्धन कार्यशाला का एजेण्ड़ा–

- बालिकाओं के साथ क्रिटिकल डायलॉग करना। बालकों के साथ वार्ता करना। मीना मंच का सुदृढ़ीकरण।
- बालिकाओं हेतु 'अभ्यास' के अर्न्तगत विभिन्न नावाचार करना और सफल अनुभवों को साझा करना और आये परिवर्तनों को डाक्यूमेन्ट करना।
- क्लस्टर से प्राप्त सफलताओं का साझा और समस्याओं को आपसी चर्चा से निवारण करना।
- अन्य स्थानीय एजेण्ड़ा जो कि मंच द्वारा तय किये जाएं।

क्लस्टर बैठक का एजेण्ड़ा–

- प्रथम क्षमता संवर्द्धन बैठक में लिए गये एजेण्ड़ा बिन्दुओं पर अन्य शिक्षिकाओं के साथ शेयरिंग।
- बालिकाओं हेतु 'अभ्यास' नवाचार की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा और शेयरिंग।
- आपसी सहयोग एवं बातचीत हेतु 5–6 शिक्षिकाओं की जोड़ी बनाना जो कि वर्षभर एक–दूसरे के सम्पर्क में रहेगी और विभिन्न प्रयासों हेतु प्रेरित करेगी।
- समूह में एक समन्वयक का कार्य कारेगी जो कि दूसरे समूह के समन्वयकों के सम्पर्क कर आपसी कार्य में सहयोग करेगी। समूह समन्वयक आवश्यक रूप से अध्यापिका मंच की सदस्या होगी।
- समूह समन्वयक अपने समूह की उपलब्धियों और समस्याओं का लेखा–जोख रखेगा और अध्यापिका मंच की कार्यशालाओं और बैठकों में उसे प्रस्तुत करेंगे।

समीक्षा बैठक का एजेण्ड़ा–

- मंच द्वारा तय किया गया एजेण्ड़ा तथा राप्राशिप द्वारा निर्देशित एजेण्ड़ा बिन्दु।

जिला शेयरिंग बैठक का एजेण्ड़ा–

- प्रत्येक ब्लॉक द्वारा कार्य करने की रणनीति और सफलताएं।
- प्रत्येक ब्लॉक की सफलताओं का आकलन और संकलन।

www.rajteachers.com

- क्षेत्र में आ रही समस्याएं और समभावित निराकरण।

बैठक/कार्यशाला से पूर्व तैयारी एवं संचालन प्रक्रिया–

प्रत्येक बैठक/कार्यशाला से पूर्व संयोजिकाएं व पाँचों प्रभारी आपसी समन्वयन से पूर्व तैयारी कर लें।

तैयारी के विचारणीय बिन्दु–

- पूर्व बैठकों में तय किए कार्यों की क्रियान्विति की समीक्षा करना ताकि मंच की होने वाली बैठक में प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके।
- बैठक/कार्यशाला में उपस्थित होने वाली शिक्षिकाओं को सूचना पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- अगली बैठक में होने वाली गतिविधि की आवश्यकता के अनुसार सामग्री की सूची बनाकर संबंधित को देकर अवगत कराना (एकत्रित करना)
- बैठक/कार्यशाला में जिस विषय पर कार्य होना है उसके संदर्भ व्यक्ति से बातचीत कर आवश्यक सूचना एवं सामग्री एकत्र करना।
- सत्रवार गतिविधियों का निर्धारण करना ताकि विधिवत तरीके से बैठक का संचालन किया जा सके।
- सत्र संचालन की जिम्मेदारी देना।
- बैठक/कार्यशाला का प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी तय करना।

अध्यापिका मंच से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित करना–

- उपस्थिति रजिस्टर
- पंजीयन प्रपत्र फाईल
- मुझे–पहचानों प्रपत्र फाईल
- बैठक–प्रतिवेदन फाईल
- मंच का संस्थापन विवरण रजिस्टर
- बैठक में निर्मित रचनाओं का संग्रह करना आदि।
- उपलब्धि विवरण

नोट– उपलब्धि विवरण में फोटोग्राफ, केस स्टडी, विद्यालयमें किये गये सफल प्रयोग, अध्यापिका मंच के कारण आये सकारात्मक बदलाव, सेवा संबंधी समस्याओं के किए गए समाधान आदि संलग्न करें।

बैठक/कार्यशाला के दौरान ध्यान रखें–

- बैठकें/कार्यशाला समय पर प्रारम्भ हो और पूरे समय चले यह सुनिश्चित करना।
- उपस्थित सभी शिक्षिकाओं की सक्रिय सहभागिता बनाना। समूह में भी कार्य किया जा सकता है।
- क्षेत्रवार प्रतिभाओं की पहचान करना व बैठक में उस प्रतिभाशाली शिक्षिका को मौका देना।
- संयोजिका, सहसंयोजिका एवं पांचों प्रभारी शिक्षिकाएं आपसी तालमेल रखते हुए बैठक के दौरान एक–दूसरे की मदद करना।
- मंच के माध्यम से अन्य गतिविधियाँ/मुद्दे क्या–क्या हों ? मंच के माध्यम से निकलवाना।
- आगामी बैठक की योजना तैयार करना। सत्रवार, सत्र के संचालन के लिए अध्यापिका मंच की सदस्यों का भी सहयोग लेना।

संलग्नक–4

अध्यापिका मंच – सत्र 2018–19 में आयोज्य कार्यशालाओं का एजेण्डा

प्रथम कार्यशाला

1. अपने समूह को जानें।
2. **अपने मीना मंच एवं गार्गी मंच का प्रभावी संचालन।**
3. **बालिकाओं से संवाद के तरीकों को जानना।**
4. विद्यालय में सदस्या की भूमिका एवं लीडरशिप के आधार पर कार्ययोजना बनाना –
   a. *बालिकाओं के नियमित उपस्थिति की निगरानी करना।*
   b. *आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।*

www.rajteachers.com

c. *मीना मंच एवं गार्गी मंच को मार्गदर्शन देना और विभिन्न गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित करना।*

d. *बालकों–बालिकाओं दोनों को सुरक्षा एवं संरक्षा की जानकारी देना और तैयार करना।*

e. *भविष्य के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु बालिकाओं से चर्चा करना और विद्यालय स्तर पर जानकरियों को जुटाना।*

द्वितीय कार्यशाला

1. अपने समूह को संबलन देना और कौशल विकास के संसाधनों से सम्पर्क स्थापित करना।
2. **बालिका मैत्रिक विद्यालय के इंडीकेटर्स को जानना।**
3. **अपने विद्यालय को बालिका मैत्रिक विद्यालय बनाना।**
4. विद्यालय में सदस्या की भूमिका एवं लीडरशिप के आधार पर कार्ययोजना बनाना –
   a. *बालिकाओं के नियमित उपस्थिति की निगरानी करना।*
   b. *आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।*
   c. *मीना मंच एवं गार्गी मंच को मार्गदर्शन देना और विभिन्न गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित करना।*
   d. *बालकों–बालिकाओं दोनों को सुरक्षा एवं संरक्षा की जानकारी देना और तैयार करना।*
   e. *भविष्य के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु बालिकाओं से चर्चा करना और विद्यालय स्तर पर जानकरियों को जुटाना।*

तृतीय कार्यशाला

1. सदस्यों की समस्याओं को एक प्लेटफार्म से जोड़कर समस्या समाधान करना।
2. **महावारी स्वच्छता एवं प्रबंधन को जानाना और विद्यालय में संचालन में पहल करना।**
3. **जेण्डर स्टीरियोटाइप्स एवं मिथकों पर समालोचनात्मक संवाद।**
4. विद्यालय में सदस्या की भूमिका एवं लीडरशिप के आधार पर कार्ययोजना बनाना –
   a. *बालिकाओं के नियमित उपस्थिति की निगरानी करना।*
   b. *आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।*
   c. *मीना मंच एवं गार्गी मंच को मार्गदर्शन देना और विभिन्न गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित करना।*
   d. *बालकों–बालिकाओं दोनों को सुरक्षा एवं संरक्षा की जानकारी देना और तैयार करना।*
   e. *भविष्य के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु बालिकाओं से चर्चा करना और विद्यालय स्तर पर जानकरियों को जुटाना।*

चतुर्थ कार्यशाला

1. जिला स्तरीय प्रदर्शनी हेतु सदस्यों से सुझाव लेना, सदस्यों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों को चिन्हित करना और अपने ब्लॉक की बालिका शिक्षा की किसी एक थीम पर प्रस्तुती का फ्रेमवर्क तैयार करना।
2. **बाल अधिकारों को जानना एवं उसकी जानकारी को बच्चों, समुदाय में पहुँचाना।**
3. **बालिकाओं से संवाद के तरीकों को जानना।**
4. विद्यालय में सदस्या की भूमिका एवं लीडरशिप के आधार पर कार्ययोजना बनाना –
   a. *बालिकाओं के नियमित उपस्थिति की निगरानी करना।*
   b. *आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना।*
   c. *मीना मंच एवं गार्गी मंच को मार्गदर्शन देना और विभिन्न गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित करना।*
   d. *बालकों–बालिकाओं दोनों को सुरक्षा एवं संरक्षा की जानकारी देना और तैयार करना।*
   e. *भविष्य के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों हेतु बालिकाओं से चर्चा करना और विद्यालय स्तर पर जानकरियों को जुटाना।*
5. अपने कामों का विशलेषण करना।

www.rajteachers.com